

अध्याय- ॥

अध्याय-॥

2. सरकारी कम्पनी से संबंधित समीक्षा

झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड, उद्योग विभाग सहित, की गतिविधियों की समीक्षा

कार्यकारी सारांश

परिचय

उद्योग विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार के अधीन हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित विकास की गतिविधियाँ किए गए थे। इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के लिए, झारखण्ड सरकार ने 23 अगस्त 2006 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना हस्तकरघा और हस्तशिल्प के उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइन, विकास, विपणन और प्रबंधन सहायता के उद्देश्य से किया।

नियोजन

विभाग ने पंचवर्षीय योजना (2007-12) तैयार किया था, हालांकि, कोई निर्दिष्ट लक्ष्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए तय नहीं किए गए थे। झारखण्ड सरकार ने ₹ 303.07 करोड़ विभाग को विमुक्त किए, जिसमें से ₹ 177.51 करोड़ कम्पनी को आवंटित हुए। कुल आवंटन में से ₹ 120.77 करोड़ कम्पनी द्वारा खर्च किये गये और शेष राशि ₹ 59.38 करोड़ 31 मार्च 2013 तक अव्ययित रही। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का कारण सरकार से प्राप्त अनुदान का कम उपयोग रहा।

योजनाओं का क्रियान्वयन

रेशम कीट पालन

रोग मुक्त चक्कते (डी.एफ.एल.) प्रति 40 कोकून के न्यूनतम मानदंडों के खिलाफ वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान 83.36 करोड़ कोकून का कम उत्पादन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 84.36 करोड़ राजस्व की संभावित हानि हुई। ग्रेनेज गृह के निर्माण और रख-रखाव के लिए पूरी नकद सहायता रेशमदूत (आर.डी.) को प्रदान नहीं की गई और रेशमदूत से प्राप्त राशि के विरुद्ध समायोजित कर दी गई।

कम्पनी सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) के लिए 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 12.45 करोड़ के अनुमोदन के विरुद्ध केवल ₹ 7.32 करोड़ मार्च 2013 तक खर्च कर पायी। विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं करा पाने के कारण कम्पनी ने 82 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ के खर्च से 18 कार्यशालाओं का ही निर्माण करा पायी।

हस्तकरघा

क्लस्टर विकास योजना

भारत सरकार ने 35 क्लस्टर के विकास के लिए ₹ 19.70 करोड़ की मंजूरी दी थी जिसमें से कम्पनी को 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 16.64 करोड़ प्राप्त हुए। हालांकि, कम्पनी ने केवल ₹ 12.61 करोड़ ही खर्च कर सकी। कम्पनी ने रँगाई, बुनाई और डिजाइन प्रत्येक में 700 व्यक्तियों की प्रशिक्षण लक्ष्य की तुलना में कार्यशाला की अनुपलब्धता के कारण रँगाई में 520, बुनाई में 560 और डिजाइन में 280 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया। भूमि की अनुपलब्धता के कारण कम्पनी स्वीकृत योजना के तहत 35 सी.एफ.सी. कार्यशालाओं और 21 रँगाई घरों का निर्माण नहीं करा सकी।

ग्रुप एप्रौच योजना

झारखण्ड सरकार ने ग्रुप एप्रौच योजना के लिए ₹ 5.35 करोड़ स्वीकृत किये जिसके विरुद्ध 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 4.18 करोड़ खर्च हुए। कम्पनी ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण 81 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 70 कार्यशालाओं का निर्माण किया। कार्यशाला की अनुपलब्धता के कारण 180 व्यक्तियों को बुनाई और 260 व्यक्तियों को रँगाई के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः बुनाई में 140 व्यक्तियों और रँगाई में 220 व्यक्तियों को ही प्रशिक्षण दिया गया।

प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति योजना

झारखण्ड सरकार के ₹ 31.12 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध कम्पनी ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 19.89 करोड़ खर्च किए। कम्पनी ने भूमि की अनुपलब्धता के कारण 236 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 30 कार्यशालाओं का निर्माण किया। कम्पनी ने कार्यशालाओं की अनुपलब्धता के कारण 4,240 बुनकरों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3,624 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया। 17 क्लस्टर के अभिलेखों के नमूना जाँच से पता चला कि कम्पनी ने 2,495 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया, जिसमें से 1,215 बुनकरों को कम्पनी द्वारा बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे कार्यशालायों, कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति और मजदूरी के भुगतान में देरी के कारण काम में नहीं लगा सकी, जिसके परिणामस्वरूप करघा का भी कम उपयोग हुआ।

हस्तशिल्प

झारखण्ड सरकार ने 21,750 शिल्पियों के प्रशिक्षण के लिए 2009-10 से 2011-12 के लिए ₹ 15.08 करोड़ स्वीकृत किए, हालांकि, कम्पनी ने ₹ 13.67 करोड़ की लागत से 23,602 कारीगरों को प्रशिक्षण दिया। नमूना जाँच के दौरान यह अवलोकित किया गया कि कम्पनी द्वारा कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति के कारण 11,729 प्रशिक्षित शिल्पियों में से केवल 1,734 शिल्पियों को ही काम में लगाया गया।

बिक्री और प्रचार

कम्पनी ने लागत मूल्य में 50 प्रतिशत से कम वृद्धि कर अधिकतम विक्रय मूल्य तय किया जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 2.72 करोड़ की कम बिक्री राशि की वसूली हुई। कम्पनी ने इन्पोरियम और फ्रैंचाइजी के माध्यम से बिक्री कर ₹ 8.33 करोड़ की हानि उठाई।

निदेशक मंडल के अनुमोदन और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना, शहरी हाट का प्रबंधन क्राफ्टेज कंसलटेंट्स को दिया गया। इसी प्रकार सिलाई का काम निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना क्राफ्टेज कंसलटेंट्स की अनुषंगी इकाई क्राफ्टेज एप्रैल्स को दे दिया गया। कम्पनी द्वारा उन्हें क्रमशः ₹ 9.35 करोड़ और ₹ 10 लाख का अग्रिम भुगतान बिना किसी सुरक्षा/बैंक गरंटी के दिए गए।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी और झारखण्ड सरकार पर निर्भर थी। विविध देनदार 2008-09 में ₹ 37.22 लाख से बढ़कर मार्च 2013 तक ₹ 8.30 करोड़ हो गए थे। कम्पनी ने विविध देनदारों का उम्र वार विश्लेषण नहीं किया।

सामग्री प्रबंधन

कम्पनी ने न तो कोई ए.बी.सी. विश्लेषण किया और न ही कोई अधिकतम/न्यूनतम मानक स्तर एवं पुनः आदेश स्तर नियत किया था। 2008-09 से 2011-12 के दौरान अंतिम स्टॉक निरंतर उच्च स्तर पर बना रहा जो माह के बिक्री के संदर्भ में 23 और 27 माह के बीच तक रहे।

अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

विभाग द्वारा बारीकी से योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए तंत्र की व्यवस्था नहीं की थी। कम्पनी ने रिलर एवं स्पीनर द्वारा कोकून से धागा उत्पादन का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया था। क्रय और उत्पादन के प्रतिवेदनों को संकलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुश्रवण और प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसरण में कमी आयी। विभाग ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

आंतरिक लेखा परीक्षा बाह्य एजेंसी द्वारा किया गया, हालांकि कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार नहीं किया था।

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

विभाग ने पंचवर्षीय योजना में भौतिक आधार पर लक्ष्य तय नहीं किए थे। कोकून का उत्पादन कम था और आर.डी. को नकद सहायता पूरी तरह प्रदान नहीं की गई थी। विभाग/कम्पनी, कार्यशालाओं के निर्माण और बुनकरों के प्रशिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। सभी इम्पोरियम और फ्रैंचाइजी दूकानें घाटा वहन कर रहे थे। फ्रैंचाइजी की नियुक्ति, शहरी हाट के प्रबंधन और अन्य कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किये बिना सौंपा गया। कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। कम्पनी ने कोई भी क्रय नीति और इनवेंटरी नियंत्रण तंत्र तैयार नहीं किया था। आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र में कमियाँ देखी गईं और व्यापक एम.आई.एस. प्रणाली का अभाव था। लेखापरीक्षा अनुशंसाओं में विभाग द्वारा योजनाओं के अनुश्रवण और उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए तंत्र विकसित करना, कोकून का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाना और आर.डी. को पूर्ण नकद सहायता प्रदान करना शामिल हैं। कम्पनी को भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप योजना तैयार करने, रिलर एवं

स्पीनर को दिए गए कोकून से रेशम धागों के उत्पादन का अनुश्रवण, बिक्री और विपणन को बढ़ावा देने, अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए वित्तीय नियमों का पालन करने की जरूरत है। इसे वैज्ञानिक इनवेंटरी नियंत्रण पद्धति को अपनाने और विभिन्न आंतरिक नियंत्रण तंत्र और एम.आई.एस. प्रणाली को स्थापित एवं सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

परिचय

2.1 उद्योग विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार के अधीन हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प निदेशालय द्वारा रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित विकास की गतिविधियाँ की गयी थी। झारखण्ड सरकार का उद्देश्य रिलिंग, स्पीनिंग और बुनाई केन्द्रों के स्थापना द्वारा रेशम कीट पालन, हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प के क्षेत्र में कौशल विकसित करना एवं इस प्रक्षेत्र का विस्तार करना था। इस प्रक्षेत्र में विशेष ध्यान देने के लिए झारखण्ड सरकार ने 23 अगस्त 2006 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी के रूप में झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना की। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, डिजाइन, विकास इत्यादि का व्यापार करना और राज्य में हस्तकरघा, रेशम, हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योगों की स्थापना में वित्त पोषण, वित्तीय अनुदान, तकनीकी सहायता, विपणन एवं प्रबंधन सहायता के द्वारा स्थापना, बढ़ावा, मदद, सहायता करना था। इसमें सहकारी समितियों एवं शिल्पियों के माध्यम से उत्पादन तथा हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा के उत्पादों के प्रदर्शनी और विपणन के लिए शहरी या ग्रामीण हाट के आयोजन या प्रायोजित करने की परिकल्पना की गई है। विभाग द्वारा प्रस्तावित, नियोजित एवं स्वीकृत की गई योजनाएँ कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य के शिल्पियों तथा बुनकरों के हितों की रक्षा एवं बढ़ावा के के लिए कम्पनी राज्य के सभी प्रकार के हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को क्रय और विक्रय करती है।

संगठनात्मक व्यवस्था

2.2 कम्पनी उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। संस्था अन्तर्रियम के अनुसार कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है जिसमें झारखण्ड सरकार द्वारा मनोनीत छ: शासकीय निदेशक¹

¹ (i) सचिव, उद्योग, पदेन अध्यक्ष (ii) वित्त सचिव या उनके प्रतिनिधि (iii) श्रम सचिव या उनके प्रतिनिधि (iv) निदेशक (हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प) (v) सहकारी संस्था के पंजीयक और (vi) प्रबन्ध निदेशक (सदस्य सचिव)

और छ: गैर शासकीय निदेशक² समाविष्ट हैं। हालांकि, झारखण्ड सरकार द्वारा निदेशक मंडल का पुनर्गठन कर विकास आयुक्त, झारखण्ड को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया (अगस्त 2010) जिससे निदेशकों की संख्या सात हो गई। कम्पनी के संस्था अन्तर्नियम के प्रावधानों के आवश्कतानुसार झारखण्ड सरकार ने किसी भी गैर सरकारी व्यक्तियों को निदेशक मंडल में शामिल नहीं किया है (नवम्बर 2013)। प्रबंध निदेशक (एम.डी.) ही एकमात्र पूर्णकालीन निदेशक हैं। एम.डी.³ कम्पनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। एम.डी. को दिन प्रतिदिन के कार्यचालन में महाप्रबंधक (प्रशासन), लेखा और वित्त प्रमुख, महाप्रबंधक (परिचालन) और महाप्रबंधक (विपणन) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कम्पनी में एक पूर्णकालीन कम्पनी सचिव भी है। कम्पनी के संगठनात्मक चार्ट **परिशिष्ट - 2.1** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा की क्षेत्र एवं पद्धति

2.3 जून 2013 से अगस्त 2013 के दौरान की गई समीक्षा में रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प की विकास और राज्य में हस्तकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के संबंध में 2008-09 से 2012-13 के लिए कम्पनी और विभाग के प्रदर्शन को शामिल किया गया है। 3 जून 2013 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में हमने सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार और कम्पनी के प्रबंध निदेशक को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों, पद्धति और चयनित नमूने से अवगत कराया।

लेखापरीक्षा में विभाग के अभिलेखों, कम्पनी के निगमित कार्यालय के अभिलेखों, 35 क्लस्टर में से नौ क्लस्टर⁴, दो में से एक प्रशिक्षण केन्द्र⁵ और कम्पनी के शहरी हाट के अभिलेखों की जाँच शामिल थी। समीक्षा अवधि में व्यय किये गये कुल राशि ₹ 120.77 करोड़ में से ₹ 97.84 (81 प्रतिशत) करोड़ के खर्च की नमूना जाँच की गयी।

प्रारूप समीक्षा 26 सितम्बर 2013 को प्रबंधन और सरकार को निर्गत किया गया था। प्रबंधन का उत्तर प्राप्त हुआ (नवम्बर 2013)। सरकार ने प्रबंधन के

² इनमें से प्रत्येक के एक प्रतिनिधि: (i) हस्तकरघा क्षेत्र (ii) हस्तशिल्प क्षेत्र (iii) रेशम कीट पालन क्षेत्र (iv) वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (v) भारतीय उद्योग संघ, पूर्वी क्षेत्र और (vi) एन.आई.एफ.टी., कोलकाता

³ उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीन हस्तकरघा, रेशम कीट पालन और हस्तशिल्प के विशेष सचिव और निदेशक

⁴ मनियारडीह, राजीडुम्मा, गोडा, पोरैयाहाट, भगैया, जियाजोरी, पोखरीकला, सिकनी और सिठियो

⁵ शहीद निर्मल महतो प्रशिक्षण केन्द्र, भगैया

उत्तर का समर्थन किया (दिसम्बर 2013)। निकासी सम्मेलन 11 दिसम्बर 2013 को सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार और कम्पनी के एम.डी. के साथ हुआ। सरकार के उत्तर और सरकार एवं प्रबंधन द्वारा निकासी सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचार को उपयुक्त रूप से समीक्षा में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 कम्पनी और विभाग की गतिविधियों की समीक्षा यह आकलित करने हेतु किया गया था कि:

- ❖ विभाग द्वारा राज्य में रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनायें तैयार की गई थीं;
- ❖ रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाओं का निष्पादन कुशलतापूर्वक, मितव्ययी और प्रभावी ढंग से कम्पनी/विभाग द्वारा किया गया और बुनकरों और शिल्पियों के हितों की रक्षा हुई थीं;
- ❖ राज्य में हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए कम्पनी के पास प्रभावी और कुशल विपणन नीति थी;
- ❖ कम्पनी के पास कुशल और प्रभावी वित्त प्रबंधन प्रणाली थी और उसने अपने संसाधनों का मितव्ययी रूप से प्रयोग किया;
- ❖ कुशल और प्रभावी इन्वेटरी प्रबंधन प्रणाली विद्यमान थी;
- ❖ कम्पनी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कम्पनी के पास कुशल मानव संसाधन थे; और
- ❖ कम्पनी के पास प्रभावी और कुशल आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र थी और विभाग द्वारा कम्पनी की गतिविधियों की कुशलतापूर्वक निरीक्षण किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा मानदंड

2.5 लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का आंकलन करने के लिए मानदंड के स्रोत थे:

- ❖ राज्य सरकार की औद्योगिक नीति और उसके निर्देश;
- ❖ केन्द्र प्रायोजित योजना/राज्य प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत दिशा-निर्देश;
- ❖ विभिन्न योजनाओं के तहत परिकल्पित लक्ष्य;
- ❖ विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी द्वारा तथ मानदंड और मानक;
- ❖ कम्पनी की बिक्री और प्रचार नीति और
- ❖ कम्पनी का संस्था अन्तर्नियम।

लेखापरीक्षा में बाधायें

2.6 विभाग/कम्पनी ने करघा एवं उपसाधन, रिलिंग मशीनरी और उपकरणों के निविदा/क्रय की संचिकायें और स्टाक रजिस्टर को प्रस्तुत नहीं किया था। कम्पनी ने योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। कम्पनी ने धागे और कपड़े के उत्पादन से संबंधित आँकड़े संकलित नहीं किया था। कम्पनी ने कपड़े की सिलाई इकाई की स्थापना के लिए, क्राफ्टेज एप्रैल्स के लिये संस्तुति एवं भूमि आवंटन से संबंधित विवरण प्रस्तुत नहीं किया था।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7 विभाग रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाएं तैयार करता है। विभाग सभी पूर्व-कोकून क्रियाएं जैसे कोकून के बनने तक रेशम कीट पालन और कोकून पालनकर्ता को सहायता भी प्रदान करता है। कम्पनी कोकून के बनने के बाद की गतिविधियों जैसे कि कोकून का क्रय, कोकून से धागा एवं धागों से कपड़े का उत्पादन और हस्तशिल्प उत्पादों से संबंधित कार्य संचालित करती है। यह बुनकरों और शिल्पियों को विपणन सहायता भी प्रदान करती है। कम्पनी रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं की कार्यकारी एजेंसी है।

नियोजन

पंचवर्षीय योजना में
कोई विनिर्दिष्ट भौतिक
लक्ष्य हस्तकरघा और
हस्तशिल्प के संबंध में
तय नहीं की गई थी।

2.8 विभाग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के तहत राज्य में रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए योजनाएं तैयार की। रेशम कीट पालन के तहत 12 अतिरिक्त पायलट परियोजना केन्द्र (पी.पी.सी.) की स्थापना के निर्धारित लक्ष्य को विभाग द्वारा प्राप्त किये गये और पी.पी.सी. की संख्या 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान 28 से बढ़कर 40 हो गई। हालांकि, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए कोई विनिर्दिष्ट लक्ष्य तय नहीं थे और केवल केन्द्रित क्षेत्रों को पंचवर्षीय योजना अभिलेखों में उल्लेखित किया गया था।

पंचवर्षीय योजना के आधार पर झारखण्ड सरकार ने अपने वार्षिक बजट में योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये धनराशि का प्रावधान किया जो सीधे विभाग द्वारा और कम्पनी द्वारा कार्यान्वित हुई। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान ₹ 343.43 करोड़ के बजट प्रावधान में से ₹ 303.07 करोड़ की राशि विभाग को विमुक्त की गई जिसमें से राज्य में ₹ 277.37 करोड़ खर्च हुए।

विभाग ने कम्पनी को योजना आवंटन/बजट प्रावधान में से ₹ 177.51 करोड़ रेशम उत्पादन⁶, हस्तकरघा⁷ और हस्तशिल्प⁸ से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदान किए जिसमें से कम्पनी ने ₹ 120.77 करोड़ (68.04 प्रतिशत) खर्च किए और 31 मार्च 2013 तक ₹ 59.38 करोड़ खर्च नहीं किए जा सके। सरकार से प्राप्त अनुदानों के कम उपयोग के कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई जिसकी चर्चा आने वाली कंडिका में है।

रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प योजनाओं का क्रियान्वयन

2.9 रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के लिए भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान आठ⁹ योजनाओं को स्वीकृत किया जिसे विभाग/कम्पनी द्वारा कार्यान्वित किया

⁶ रिलर एवं स्पीनर का प्रशिक्षण, उपस्कर का क्रय, समान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) वर्कशेड का निर्माण।

⁷ करघे एवं सहायक उपस्कर का क्रय, कच्ची सामाग्री, प्रशिक्षण, समान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) वर्कशेड का निर्माण, रँगाई घर।

⁸ डिजाइन विकास और प्रशिक्षण।


⁹ सी.एफ.सी., कीटपालकों की सहायता अनुदान, कलस्टर विकास, गुप एप्रैच, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ, पी.डब्ल्यू.सी.एस., डिजाइन, विकास और प्रशिक्षण, शहरी हाट एवं मेला और प्रदर्शनी का आयोजन।

जाना था। उसमें से लेखापरीक्षा ने छः¹⁰ योजनाओं की संवीक्षा की, जिस पर नीचे चर्चा की गई है।

रेशम कीट पालन

2.10 रेशम कीट पालन एक कृषि आधारित, निर्यात उन्मुख उद्योग है। इसका प्रत्यक्ष प्रासंगिकता समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण से है जिसमें ग्रामीण किसानों को बड़े पैमाने पर तसर खाद्य पौधों के वृक्षारोपण और रेशम कीट पालन में नियोजन किया जाता है। कोकून का उत्पादन विभाग द्वारा किया जाता है।

रोग मुक्त चक्ट्टे (डी.एफ.एल.)/कोकून के उत्पादन के विभिन्न स्तर निम्न प्रकार के हैं:



केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) के मानक के अनुसार प्रत्येक चरण में प्रति इकाई डी.एफ.एल. से कोकून का उत्पादन 40-50 की संख्या के बीच होना चाहिए तथा कोकून से 5:1 के अनुपात में डी.एफ.एल. का उत्पादन होना चाहिए।

¹⁰ सी.एफ.सी., क्लस्टर विकास, ग्रुप एप्रौच, प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति (पी.डब्ल्यू.सी.एस.), डिजाइन, विकास एवं प्रशिक्षण, मेला और प्रदर्शनी।

कोकून के कम उत्पादन के कारण ₹ 84.36 करोड़ के राजस्व की हानि।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान उत्पादित कोकून के उत्पादन में कमी को परिशिष्ट - 2.2 में दर्शाया गया है। परिशिष्ट से यह देखा जा सकता है कि सी.एस.बी. के निर्धारित मानकों के अनुसार 83.36 करोड़ कोकून का कम उत्पादन¹¹ हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 84.36 करोड़ के संभावित राजस्व की हानि हुई। तथापि, वर्ष 2008-09 में कोकून के उत्पादन में कमी 32.37 प्रतिशत थी जो बढ़कर 2010-11 में 58.16 प्रतिशत हो गई तथा 2011-12 में घटकर 25.87 प्रतिशत हो गई। कोकून का उत्पादन अण्डा देने की अवधि के दौरान रोग नियंत्रण एवं मौसम की स्थिति पर निर्भर करता है। विभाग ने अण्डा देने की अवधि के दौरान रोगों के आकलन का ब्यौरा संकलित नहीं किया था। संकलित आंकड़ों के अभाव में विभाग समय से सुधारात्मक उपाय नहीं कर सका। अण्डा देने के अवधि के दौरान रोग के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश तथा कोकून के उत्पादन में वृद्धि का प्रयास विभाग द्वारा किया जाना चाहिए था क्योंकि यह क्रियाविधि वर्ष 2007-08 के पूर्व से किया जा रहा था। विभाग ने केवल जुलाई 2012 में अण्डा देने के दौरान रोग से नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी किया। हांलाकि, दिशा-निर्देश में केवल रोग के नियंत्रण पर जोर दिया परन्तु कोकून के उत्पादन के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया। यदि दिशा-निर्देश समय से निर्गत किया जाता तो कोकून के उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता था। कोकून के अधिक उत्पादन से राज्य, रेशम के उत्पादन को उच्च स्तर पर लाने में सक्षम होगा एवं वाणिज्यिक बीज उत्पादकों की आय की क्षमता को सुधारने में सहायक होता।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि आने वाले वर्षों में उत्पादन में सुधार होगा।

बुनियादी डी.एफ.एल. के बिक्री के विरुद्ध कम वसूली

2.11 पी.पी.सी. के ग्रेनेज¹² गृह में उत्पादित बुनियादी डी.एफ.एल. को वाणिज्यिक डी.एफ.एल. के उत्पादन हेतु रेशमदूत¹³ को बेचा जाता था। पाँच पी.पी.सी¹⁴ के नमूना जाँच में हमने देखा कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान पी.पी.सी ने रेशमदूतों को ₹ 52.82 लाख की बुनियादी डी.एफ.एल.

¹¹ संरक्षात्मक आधार पर अधिकतम 50 कोकून के बदले न्यूनतम 40 कोकून मानते हुए कोकून के उत्पादन की गणना की गयी है।

¹² एक स्थान जहाँ कोकून से डी.एफ.एल. के उत्पादन के लिए संग्रहित किया जाता है।

¹³ कीटपालकों को 23 व्यक्तियों के समूह में संगठित किया जाता है उनमें से एक को रेशमदूत कहा जाता है, 2 को बीज पालक एवं शेष 20 को वाणिज्यिक कीटपालक कहा जाता है।

¹⁴ बोरियो, गोड़ा, कथिजोरिया, बैंगाबाद, जगदीशपुर।

उधार में बेचा जिसके विरुद्ध केवल ₹ 24.64 लाख की ही वसूली की जा सकी तथा ₹ 28.18 लाख वसूली हेतु शेष रह गया। वसूली की गई ₹ 24.64 लाख की राशि में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा रेशमदूतों को स्वीकृत सहायता अनुदान¹⁵ में से ₹ 18.07 लाख का समायोजन किया गया था। वसूली की संभावना काफी क्षीण है क्योंकि पी.पी.ओ. ने बकाया की वसूली के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और कहा कि संबंधित प्रायोगिक परियोजना पदाधिकारी (पी.पी.ओ.) को निर्देश दिया गया है कि राशि को जमा करें अन्यथा उनके विरुद्ध बकाया की वसूली के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी।

ग्रेनेज गृह के लिए नगद अनुदान का भुगतान नहीं किया जाना

2.12 भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान रेशमदूतों की सहायता प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम स्वीकृत किया था। प्रत्येक रेशमदूतों को अंडों के लिए अस्थायी ग्रेनेज गृह के निर्माण हेतु ₹ 6,000 का प्रारंभिक नगद सहायता प्रदान करना योजना का एक घटक था। झारखण्ड सरकार ने भी रेशमदूतों को सहायता प्रदान करने की योजना वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान स्वीकृत की थी। विद्यमान ग्रेनेज गृह के मरम्मत और रख-रखाव के लिए प्रत्येक रेशमदूतों को ₹ 2,000 प्रति वर्ष नगद सहायता के रूप में प्रदान करना योजना का एक घटक था। तथापि, नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त दोनों योजनाओं के तहत सहायता अनुदान रेशमदूतों को पूरी तरह वितरित नहीं किया गया था बल्कि रेशमदूतों से प्राप्य बुनियादी डी.एफ.एल. के मूल्य से समायोजित किया गया था जैसा कि कंडिका 2.11 में चर्चा किया गया है। इससे अंडों के लिए आवश्यक ग्रेनेज गृह के निर्माण एवं मरम्मत के लिए सहायक अनुदान देने का उद्देश्य विफल हुआ जो कोकून के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है जैसा कि कंडिका 2.10 में विवेचित है।

¹⁵ अस्थायी ग्रेनेज गृह के निर्माण के लिए।

कोकून के भण्डारण का अपर्याप्त सुविधा

2.13 कम्पनी रेशम धागों के उत्पादन हेतू बीज उत्पादकों से कोकून का क्रय करता है। कोकून का भण्डारण कोकून बैंक में करना आवश्यक है। विभाग ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान 22 कोकून बैंकों के निर्माण की स्वीकृति दी जो सरकारी अभिकरणों¹⁶ द्वारा बनाया जाना था। तथापि, इस अवधि में केवल छः कोकून बैंकों का निर्माण¹⁷ किया गया। अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण कोकून का भण्डारण उचित तरीकों से नहीं किया जा सका, जिसके फलस्वरूप कोकून की गुणवत्ता में गिरावट हुई तथा धागे का कम उत्पादन हुआ जैसा कि अनुवर्ती कंडिका में चर्चित है। लेखापरीक्षा क्लस्टर विकास कार्यपालक के साथ संयुक्त कार्यक्षेत्र दौरा में कोकून के अनुपयुक्त भण्डारण को देखा गया था, जिसे नीचे के चित्र में दर्शाया गया है।



(पी.पी.सी. बंगाबाद का फोटो)

यह विदित है कि कोकून बैंकों के निर्माण में विलंब के फलस्वरूप कोकून के भण्डारण सुविधा अपर्याप्त रही।

कोकून से धागा का कम उत्पादन

कोकून से 37,824
कि.ग्रा. रेशम धागे
का कम उत्पादन।

2.14 सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) में कम्पनी द्वारा नियोजित रिलर एवं स्पीनर के द्वारा सुखाकर एवं पकाकर¹⁸ कोकून से रेशम तन्तु (धागा) को काता जाता है। कम्पनी ने अनुमान लगाया कि 1,000 कोकून से 1 किलोग्राम रेशम धागे का उत्पादन होगा जबकि विभाग ने अनुमान लगाया कि 1,000 कोकून से एक से 1.20 किलोग्राम रेशम धागे का उत्पादन होगा। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान कम्पनी ने 7.24 करोड़ कोकून, रिलर एवं स्पीनर¹⁹ को रेशम धागे के उत्पादन के लिए आपूर्ति किया। रेशम धागे का

¹⁶ झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, एन.आर.ई.पी. और ग्रामीण विकास विभाग।

¹⁷ 2011-12 में तीन और 2012-13 में तीन।

¹⁸ रिलिंग एवं स्पीनिंग से पहले कोकून को प्रेशर कुकर में उबालते हैं।

¹⁹ खरसावाँ, बेड़ो, पी.पी.सी. रातु, भगैया और जियाजोरी क्लस्टर्स में।

अनुमानित उत्पादन 72,366 किलोग्राम के विरुद्ध उनके द्वारा 34,542 किलोग्राम का ही उत्पादन किया गया। इस प्रकार रेशम धागे के अनुमानित उत्पादन से 37,824 किलोग्राम रेशम धागे का कम उत्पादन हुआ। इसके अतिरिक्त प्रति हजार कोकून से रेशम धागे का उत्पादन वर्ष 2008-09 में 0.77 किलोग्राम से घटकर वर्ष 2012-13 में 0.42 किलोग्राम हो गया जो रेशम धागे के उत्पादन में घटते क्रम को दर्शाता है। रेशम धागे के उत्पादन में कमी का मूल कारण कोकून का अनुचित भण्डारण सुविधा था जैसा कि कंडिका संख्या 2.13 में वर्णित है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि अगर कोकून श्रेणी-ए के गुणवत्ता का हो तथा रिलर/स्पीनर अनुभवी हों तब वे 1,000 कोकून से एक किलोग्राम धागे का उत्पादन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ए, बी एवं सी श्रेणी के कोकून खरीदे गए थे।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि कम्पनी ने रिलर एवं स्पीनर द्वारा धागे के उत्पादन के अनुश्रवण के लिए नियंत्रण तंत्र का विकास नहीं किया था क्योंकि धागे का उत्पादन रिलिंग एवं स्पीनिंग के लिए निर्गत कोकून के अनुरूप नहीं था। व्यक्तिशः निर्गत कोकून एवं उसके विरुद्ध उत्पादित धागे के मिलान के लिये अभिलेखन की प्रणाली नहीं थी। नियंत्रण तंत्र के अभाव में धागे/कोकून की चोरी को नकारा नहीं जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी/विभाग द्वारा बनाये गये प्राक्कलन में कोकून की श्रेणी को शामिल नहीं किया गया तथा उन्होंने अनुमान लगाया कि 1000 कोकून से एक किलोग्राम से 1.2 किलोग्राम धागा उत्पादित होगा।

इसके अलावा, वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान बेड़ों एवं रातू पी.पी.सी. ने श्रेणी-ए के 21,582 हजार कोकून सामान्य सुविधा केन्द्रों/ स्वयं सहायता समूहों को निर्गत किया जिसके विरुद्ध केवल 8,708 किलोग्राम धागों का ही उत्पादन हुआ जबकि 21,582 किलोग्राम धागा का उत्पादन होना था। वास्तव में वर्ष 2009-10 में प्रति हजार कोकून से धागे का उत्पादन 0.63 किलोग्राम था जो घटकर वर्ष 2012-13 में 0.36 किलोग्राम हो गया। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष में प्रशिक्षित रिलर एवं स्पीनर को ही अनुभवहीन समझा जा सकता था जबकि पूर्व के वर्षों में प्रशिक्षित और उत्पादन से जुड़े हुए रिलर एवं स्पीनर को अनुभवी माना जा सकता है। कम्पनी ने समीक्षा अवधि के दौरान अनुभवी तथा अनुभवहीन दोनों तरह के रिलर एवं स्पीनर को उत्पादन में लगाया था। अतः सरकार का दावा कि अनुभवी रिलर एवं स्पीनर ही एक

हजार कोकून से एक किलोग्राम धागा पायेंगे सही नहीं है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त भंडारण सुविधा भी धागे के कम उत्पादन का कारण था जैसा कि कंडिका 2.13 में दर्शाया गया है।

सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी) की स्थापना

2.15 झारखण्ड सरकार ने कोकून के बाद के कार्यकलाप जैसे कि कोकून को रेशम धागे में बदलना तथा ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए योजना स्वीकृत की। वर्ष 2008-09 से 2011-12²⁰ के दौरान स्वीकृत ₹ 12.45 करोड़²¹ के विरुद्ध कम्पनी ने ₹ 7.32²² करोड़ खर्च किया।

हमने अवलोकित किया कि:

- कम्पनी ने 82 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 1.06 करोड़ की लागत से केवल 18 कार्यशालाओं (28 प्रतिशत) का निर्माण कराया तथा विभाग द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण शेष 64 कार्यशालाओं का निर्माण शुरू नहीं हुआ था। विभाग ने भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना साल-दर-साल योजना की स्वीकृति दिया तथा उसके लिये निधि जारी किया। यद्यपि, कम्पनी 2006-07 से 2011-12 के दौरान जिला प्रशासन से कार्यशालाओं का प्रबंध कर 144 सी.एफ.सी को संचालन कर रही थी।
- इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कम्पनी ने जनवरी 2009 में ₹ 97.53 लाख के उपयोगिता प्रमाणपत्र का अनियमित प्रस्तुतीकरण
- इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि कम्पनी के लिए स्वीकृत ₹ 47.53 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया (अगस्त 2010) जबकि सितम्बर 2013 तक वास्तविक खर्च ₹ 40.88 लाख था। इसी प्रकार, अगस्त 2009 में मशीनरी एवं उपस्कर के क्रय के लिए स्वीकृत एवं निर्गत ₹ 50 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया (नवम्बर 2010) जबकि, सितम्बर 2013 तक वास्तविक खर्च ₹ 41.47 लाख था। उपयोगिता प्रमाण पत्र निधि के व्यय के पश्चात् ही निर्गत किया जाता है। इस प्रकार, राशि के व्यय से पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना स्वीकृति के शर्तों का उल्लंघन था। झारखण्ड सरकार के पास

²⁰ वर्ष 2012-13 के लिये प्राप्त ₹ 14.66 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं थी।

²¹ रक्षेड ₹ 4.69 करोड़, सयंत्र एवं उपस्कर ₹ 1.76 करोड़, कार्यशील पूँजी ₹ 3.54 करोड़, प्रशिक्षण ₹ 1.57 करोड़ और पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 0.89 करोड़।

²² रक्षेड ₹ 1.06 करोड़, सयंत्र एवं उपस्कर ₹ 1.40 करोड़, कार्यशील पूँजी ₹ 3.42 करोड़, प्रशिक्षण ₹ 0.55 करोड़ और पर्यवेक्षण शुल्क ₹ 0.89 करोड़।

उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता एवं परिशुद्धता सुनिश्चित करने का कोई तंत्र नहीं था।

इसके अतिरिक्त यह उल्लेख किया जाता है कि विभाग/ कम्पनी रिलिंग एवं स्पीनिंग मशीन एवं उपस्कर के क्रय अभिलेख एवं भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं कर सका। मशीनरी एवं उपस्कर के क्रय एवं निर्गत करने के उपर्युक्त अभिलेखों के अभाव में क्रय दरों के औचित्य एवं इन उपकरणों के सुरक्षा तथा इनके उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उन्होंने अब भूमि की व्यवस्था कर ली है तथा कार्यशालाओं के निर्माण का कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एल.) को सौंप दिया है (मार्च से जून 2013)।

सरकार ने कार्यशालाओं के निर्माण के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया; तथापि, अनियमित उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतिकरण तथा अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण अनुत्तरित रहा।

हस्तकरघा

2.16 हस्तकरघे पर बुनाई के उपरांत रेशम एवं सूती धागे से कपड़ा बनाया जाता है। हस्तकरघा के विकास के लिए भारत सरकार ने क्लस्टर विकास योजना (सी.डी.एस.)²³ एवं ग्रुप एप्रौच योजना²⁴ तथा झारखण्ड सरकार ने प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति (पी.डब्ल्यू.सी.एस.)²⁵ योजना स्वीकृत किया। योजनाओं का उद्देश्य पी.डब्ल्यू.सी.एस/एस.एच.जी. को नये कार्यशालाएं उपलब्ध कराना, विद्यमान कार्यशालाओं का मरम्मत, करघा एवं उपसाधन प्रदान करना, डिजाइन एवं विकास तथा विपणन में सहायता, दक्षता उन्नयन के लिए प्रशिक्षण तथा बुनकरों की जीविका कायम रखने तथा उनके सामाजिक उत्थान हेतु कार्यशील पूँजी प्रदान करना था। उपर्युक्त वर्णित योजनाओं का कार्यान्वयन की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

²³ सी.डी.एस. भारत सरकार के द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लिया गया समेकित हस्तकरघा विकास योजना का एक भाग है और फरवरी 2011 के बाद नया क्लस्टर स्वीकृत नहीं किया गया।

²⁴ वैसे बुनकर जो सी.डी.एस. के अधिन नहीं आते वे इस योजना के अधिन थे।

²⁵ वैसे पी.डब्ल्यू.सी.एस. का पुनःउद्घार जो बीमार और बंद होने के कागर पर थे।

क्लस्टर विकास योजना

2.17 भारत सरकार ने ₹ 19.70 करोड़²⁶ की कुल लागत से 35 क्लस्टर²⁷ के विकास के लिए स्वीकृति दिया जो परिशिष्ट - 2.3 में दर्शाया गया है। इसके तहत प्रत्येक क्लस्टर के अधीन 20 बुनकर होने थे। कम्पनी को 26 क्लस्टर के लिए स्वीकृत की गई ₹ 16.64 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। हालांकि, बाकी नौ क्लस्टर के संदर्भ में तीसरा किस्त का मिलना बाकी था। इसमें से ₹ 12.61 करोड़ कम्पनी द्वारा व्यय किया गया।

हमने अवलोकित किया कि:

- झारखण्ड सरकार ने प्रक्रियात्मक देरी के कारण एक महीने की अधिदेशित अवधि के विरुद्ध भारत सरकार से निधि की प्राप्ति के नौ से 12 महीने बाद कम्पनी को निधि निर्गत किया।
- रँगाई, बुनाई एवं डिजाइन में प्रत्येक पर 700 व्यक्तियों के लक्ष्य के विरुद्ध रँगाई में 520, बुनाई में 560 एवं डिजाइन में 280 व्यक्तियों को कम्पनी ने प्रशिक्षण दिया। कम्पनी ने दिसम्बर 2010 एवं फरवरी 2011 की स्वीकृति के विरुद्ध रँगाई एवं डिजाइन में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया था। प्रशिक्षण में कमी का कारण कार्यशालाओं की अनुपलब्धता थी। इस प्रकार, बुनकरों के निरंतर आजीविका एवं सामाजिक उत्थान का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।
- 35 सी.एफ.सी कार्यशालायें एवं 21 रँगाई घरों के निर्माण के लिए ₹ 6.24 करोड़ की स्वीकृति थी। हालांकि, विभाग द्वारा निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं कराने के कारण कम्पनी ने अब तक (मार्च 2013) कोई भी सी.एफ.सी कार्यशाला एवं रँगाई घर का निर्माण नहीं किया था। क्लस्टर के क्षेत्र दौरा के दौरान यह पाया गया कि कार्यशालाओं के अनुपलब्धता के कारण बुनकर बरसात के मौसम में अपने घरों में काम करने के लिए विवश थे एवं उन्हें कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

²⁶ केन्द्रीय अंश ₹ 18.85 करोड़ और राज्य अंश रुपये 84.98 लाख।

²⁷ इरवा चुट्टु, जियाजोरी, बहरागोड़ा, सिठियो, पोखरीकला, उरुगुट्टु, खुट्टी, सरायहाट, भगैया, मॉडर, (फरवरी 2008), गोड्डा, सुदना, पोरैयाहाट इस्लामपुर, बालधर, जमुनिया, राजीडुम्मा, मनियारडीह, महुआडाबर, हरिहरगंज, लोहरदग्गा (अक्टूबर 2008); पचरुखी, बोरियो, मुरुजुली, सिकनी, फसिया (नवंबर 2009); नयासराय, बरहेत, पाकुड़, मुरुमडेगा, बौरीजोरी (दिसंबर 2010) और गढ़वा, बानापीढ़ी, राजहर, कुन्दरी (फरवरी 2011)

- योजना के उद्देश्यों में से एक, कंसोर्टियम के संस्थापन द्वारा हस्तकरघा बुनकर समूहों को स्वावलम्बी बनाने हेतु सहायता करना था। संबंधित संगठनों जैसे बैंक/वित्तीय संस्थाओं, विपणन संस्थाओं/विपणन विशेषज्ञों, कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी तंत्रों, बुनकरों इत्यादि के साथ बुनकरों के विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा के लिए कम्पनी को स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति, मुख्य बुनकर, निजी उद्यमी, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) के हितधारकों को शामिल कर कंसोर्टियम संस्थापित करना था। क्लस्टर को स्वावलम्बी आधार पर चलाने हेतु इसकी गतिविधियों को, कंसोर्टियम द्वारा इसके गठन के तीन साल में या उसके बाद अधिग्रहण करना था। हांलाकि, 26 क्लस्टरों के निर्माण के अधिदेशित तीन साल के बाद नौ महीने से 32 महीने तक भी कम्पनी द्वारा किसी भी क्लस्टर में कंसोर्टियम की स्थापना नहीं की गई थी।

सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण रँगाई घरों एवं सी.एफ.सी कार्यशालाओं का निर्माण नहीं किया गया और कहा कि रँगाई घरों और रँगाई प्रशिक्षण का उद्देश्य भिन्न था। रँगाई घरों का निर्माण बड़े पैमाने के जरूरतों को पूरा करने के लिए था जबकि बुनकरों को रँगाई का प्रशिक्षण धारे की उनके अपने जरूरतों को पूरा करने हेतु दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कम्पनी द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के लिये कंसोर्टियम की संस्थापन को क्रियान्वित नहीं किया गया था क्योंकि पी.डब्ल्यू.सी.एस. एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सभी प्रक्रिया को किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक क्लस्टर को स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सभी क्लस्टर में कंसोर्टियम बनाना था जो कि अभी तक हासिल नहीं किया गया था और समूहों के रँगाई की जरूरतों को कम्पनी के रँगाई घर एवं एक निजी रँगाई घर को पुनर्जीवित कर किया गया।

गुप्त एप्रौच योजना

2.18 इस योजना की संकल्पना बुनकरों के विकास के लिए किया गया, जो क्लस्टर विकास योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं थे। स्वयं सहायता समूह/पी.डब्ल्यू.सी.एस./अन्य स्वतंत्र/व्यक्तिगत बुनकरों के रूप में एक समूह में अधिमानत: 10 या अधिक बुनकर होने चाहिए थे। वर्ष 2008-09 से

2011-12 के दौरान भारत सरकार ने ग्रुप एप्रौच योजना के लिए ₹ 5.35²⁸ करोड़ स्वीकृत किये जैसा कि परिशिष्ट-2.4 में दर्शाया गया है। भारत सरकार ने ₹ 5.13 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 4.08 करोड़ निर्गत किये और कम्पनी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं करने के कारण शेष ₹ 1.05 करोड़ निर्गत नहीं किए गये। हांलाकि, झारखण्ड सरकार ने अपने भाग की पूरी राशि ₹ 21.80 लाख निर्गत किया। ₹ 4.30 करोड़ के निर्गत निधि के विरुद्ध कम्पनी द्वारा वास्तविक व्यय ₹ 4.18 करोड़ किया गया था (मार्च 2013)।

हमने अवलोकित किया कि:

- कम्पनी ने 90 स्वयं सहायता समूह के लक्ष्य के विरुद्ध 81 स्वयं सहायता समूह का गठन किया था (नवम्बर 2013)।
- कम्पनी ने 81 कार्यशालाओं के विरुद्ध केवल 62 कार्यशालाओं का निर्माण (अगस्त 2013) पी.डब्ल्यू.सी.एस. एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा दान दी गई भूमि पर किया। 14 कार्यशालाओं का निर्माण प्रगति पर था और शेष पाँच कार्यशालाओं के मामले में विभाग भूमि की व्यवस्था नहीं कर सका। कार्यशालाओं के निर्माण में देरी के कारण बुनकरों को वांछित लाभ मुहैया नहीं किया जा सका।
- बुनाई एवं रँगाई पर क्रमशः 180 एवं 260 व्यक्तियों के प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 140 व्यक्तियों को बुनाई एवं 220 व्यक्तियों को रँगाई का प्रशिक्षण दिया गया (अगस्त 2013)। बुनाई एवं रँगाई प्रत्येक पर 40 व्यक्तियों को योजना की स्वीकृति के चार से पाँच साल के बाद भी कार्यशालाओं, जहाँ कि प्रशिक्षण के लिए करघों को स्थापित करना था, की अनुपलब्धता के कारण प्रशिक्षण नहीं दिया गया। इस प्रकार बुनकरों के स्वावलम्बी जीविका एवं सामाजिक उत्थान का उद्देश्य पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2013) कि नौ कार्यशालाओं का निर्माण जारी था और दो कार्यशालाओं के लिए जल्द ही कार्यादेश दे दिया जाएगा। भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई और कहा कि अब उनके पास भूमि उपलब्ध थीं।

²⁸ केन्द्रीय अंश ₹ 5.13 करोड़ और राज्य अंश ₹ 21.80 लाख।

तथ्य यह है कि अभी तक 11 कार्यशालाओं का निर्माण नहीं किया जा सका था जिसके परिणामस्वरूप बुनकरों को लाभ मुहैया कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति योजना

2.19 झारखण्ड सरकार ने प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों (पी.डब्ल्यू.सी.एस.)²⁹ जो बीमार थे एवं बंद होने के कगार पर थे, को पुर्नजीवित करने की पहल की थी। पी.डब्ल्यू.सी.एस. न्यूनतम 20 बुनकरों एवं एक अध्यक्ष के अध्यक्षता में होते हैं। पी.डब्ल्यू.सी.एस. के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखण्ड सरकार ने ₹ 31.12 करोड़ स्वीकृत किया जैसा कि परिशिष्ट - 2.5 में दर्शाया गया है जो कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान प्राप्त हुआ। इसमें से कम्पनी ने केवल ₹ 19.89 करोड़ ही खर्च कर सका (मार्च 2013)।

हमने अवलोकित किया कि 236 कार्यशालाओं के लक्ष्य के विरुद्ध पी.डब्ल्यू.सी.एस. द्वारा दानित भूमि पर केवल 30 कार्यशालाओं का निर्माण पूर्ण हुआ और तीन कार्यशालाओं का निर्माण प्रगति पर था। 203 कार्यशालाओं का निर्माण नहीं शुरू किया जा सका (मार्च 2013) क्योंकि भूमि की व्यवस्था न तो विभाग द्वारा किया गया और न ही पी.डब्ल्यू.सी.एस. द्वारा दान दिया गया। 4,240 बुनकरों के प्रशिक्षण लक्ष्य के विरुद्ध कम्पनी ने 3,624 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया। यह अवलोकित किया गया कि विभाग ने योजना के पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया था। इस प्रकार, दिए गए समय सीमा में योजना को पूर्ण करने में तात्कालिकता की भावना की कमी थी।

हमने पुनः अवलोकित किया कि:

₹ 2.88 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र का अनियमित प्रस्तुतीकरण।

➤ ₹ 5.74 करोड़³⁰ की स्वीकृति अगस्त 2012 में दिया गया (राशि मार्च 2013 में प्राप्त हुआ) जिसमे अन्य बातों के साथ 48 कार्यशालाओं का निर्माण, करघे एवं सहायक उपकरणों की खरीद, 48 बुनकर समूहों के प्रशिक्षण एवं भूमि का अर्जन शामिल था। कम्पनी द्वारा कार्यशालाओं के निर्माण के संबंध में अगस्त 2013 में ₹ 2.88 करोड़ का उपयोगिता

²⁹ सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत।

³⁰ वर्कशेड के निर्माण के लिये ₹ 2.88 करोड़, करघे एवं सहायक उपस्कर के लिये ₹ 0.91 करोड़, प्रशिक्षण के लिये ₹ 0.53 करोड़, पर्यवेक्षण शुल्क के लिये ₹ 0.42 करोड़ एवं जमीन अधिग्रहण के लिये ₹ 1.00 करोड़।

प्रमाण पत्र जमा किया गया जो अनियमित था क्योंकि योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्यशाला का निर्माण नहीं किया गया था।

- झारखण्ड सरकार ने ₹ तीन करोड़ स्वीकृत किया (दिसम्बर 2008) जिसमें अन्य बातों के अलावा भगैया में रँगाई एवं फिनिशिंग कार्यशालाओं के लिए ₹ 16 लाख और रँगाई एवं फिनिशिंग उपकरण के लिए ₹ 20 लाख शामिल था। यह अवलोकित किया गया कि कम्पनी ने फरवरी 2010 में ही पूरे स्वीकृत राशि ₹ तीन करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार को जमा कर दिया यद्यपि रँगाई एवं फिनिशिंग कार्यशाला का निर्माण फरवरी 2011 तक नहीं किया गया था। ऐसे ही, रँगाई एवं फिनिशिंग उपकरण बिना खरीदे फरवरी 2010 में इसके लिए स्वीकृत राशि ₹ 20 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र झारखण्ड सरकार को जमा कर दिया गया। उसके बाद (मार्च 2013) दूसरी योजनाओं से ₹ 10.42 लाख की लागत से रँगाई एवं फिनिशिंग उपकरण खरीदे गए। इस प्रकार कम्पनी ने झारखण्ड सरकार को गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किया। विभाग के पास कम्पनी द्वारा जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता एवं यथार्थता को पता करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।
- कार्यशाला के आकार के अनुसार वर्कशेड के निर्माण ₹ तीन लाख एवं ₹ छः लाख की लागत से करना था। तथापि ग्रुप एप्रौच योजना एवं पी.डब्ल्यू.सी.एस. के अन्तर्गत निर्मित 17 वर्कशेड³¹ के संयुक्त कार्य क्षेत्र दौरा³² के दौरान यह देखा गया कि तीन गाँवों³³ में दूसरी वर्कशेड का निर्माण मौजूदा कार्यशाला के ऊपर पहली मंजिल पर किया गया एवं चार गाँवों³⁴ में वर्कशेड के दीवारों में से एक दीवार मौजूदा कार्यशाला के साथ सामान्य था। मापी पुस्तिका एवं निष्पादित कार्य के वास्तविक मात्रा के विवरण के अभाव में भुगतेय राशि से काटी जाने वाली राशि की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सका।

³¹ सिठियो (दो), बरहु (दो), उपरकोन्की (दो), उरगुड़ (एक), मोहनपुर (एक), कटमकुल्ली (दो), बरोदीवला (एक), सिकनी (दो), साकेर (एक), पोटामडागा (एक), वासिम (एक), कुंडरुकला (एक)।

³² कम्पनी के कल्स्टर विकास कार्यपालक के साथ।

³³ सिठियो, बरहु और कटमकुल्ली।

³⁴ कटमकुल्ली, मोहनपुर, उपरकोन्की और सिकनी।

- यद्यपि दो गाँवों³⁵ में वर्कशेड का निर्माण किया गया पर उन वर्कशेड में कोई करघे नहीं थे।

पुनः यह उल्लेखनीय है कि विभाग/कम्पनी, निविदा/क्रय सम्बन्धित संचिका और करघों एवं सहायक उपकरणों की भंडार पंजी प्रस्तुत नहीं कर सका। करघों एवं उपकरणों के क्रय एवं निर्गम से संबंधित उचित अभिलेख के अभाव में इन उपकरणों की सुरक्षा एवं इनकी उपयोगिता सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कम्पनी ने योजनावार करघों एवं उपकरणों के खरीद का आँकड़ा संधारित नहीं किया था। योजनवार आँकड़ों के अभाव में योजना का अनुश्रवण नहीं किया जा सकता था।

सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) कि भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्यशाला का निर्माण नहीं किया जा सका एवं कहा कि अब भूमि उपलब्ध है और बी.एस.एन.एल. को कार्यादेश दे दिया गया है (मार्च से जून 2013)।

तथापि, उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में इंगित अनियमितताओं एवं वर्कशेड के निर्माण में उजागर की गई अनियमितताओं के बारे में उत्तर मौन है।

प्रशिक्षित बुनकरों का उपयोग

2.20 बाजार के बदलते प्रवृत्ति के अनुसार और बेहतर गुणवत्ता के साथ विविध उत्पादों के उत्पादन हेतु हस्तकरघा बुनकरों को स्वयं के अनुकूलन के लिए प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण निवेश है। योजना के अनुसार बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया और कम्पनी को भी रेशम एवं सूती धागे और रंग रसायनों की क्रय के लिए रिवाल्विंग फण्ड के रूप में कार्यशील पूँजी प्रदान की गई।

17 क्लस्टर³⁶ के लेखों के नमूना जाँच में उजागर हुआ कि कम्पनी ने वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान 2,495 बुनकरों को प्रशिक्षण दिया उसमें से केवल 1,280 बुनकर (51 प्रतिशत) को कम्पनी द्वारा मार्च 2013 को काम में लगाए गए। कम्पनी द्वारा काम में लगाए गए प्रशिक्षित बुनकरों की संख्या असामान्य रूप से कम थी। जैसा कि क्षेत्र दौरा के दौरान क्लस्टर विकास कार्यपालक ने बताया कि संरचनात्मक सुविधाओं की कमी जैसे वर्कशेड, कच्चे

³⁵ पोटामडागा और कुंडरुकला।

³⁶ सिठियो, मनियारडीह, महुआडाबर, जमुनिया, बाल्टहर, बोरियो, बरहेत, जियाजोरी, गोड़ा, सरायहाट, पोरैयाहाट, फसिया, सिकनी, पचरुखी, हजारीबाग एवं खरसावँ

मालौं की अनियमित आपूर्ति और मजदूरी के भुगतान में देरी इत्यादि कारणों से प्रशिक्षित व्यक्तियों को कम्पनी द्वारा काम में नहीं लगाया जा सका। इसके परिणामस्वरूप करघों का अल्प उपयोग हुआ जैसा कि कंडिका संख्या 2.21 में टिप्पणी की गयी है। कम्पनी को प्रशिक्षित बुनकरों के अधिकतम उपयोग के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

इस तरह, ₹ 1.82 करोड़³⁷ के व्यय के बाद भी 1,215 बुनकरों के स्वावलम्बी बुनकर समूहों के सदस्य बनने हेतु बुनकरों को दिया गया प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

करघों का अल्प उपयोगिता

2.21 कम्पनी ने बुनकरों को कपड़े का उत्पादन के लिए हस्तकरघा इस अनुमान के साथ प्रदान किया था कि रेशम बुनकर द्वारा प्रतिदिन पाँच मीटर कपड़े का एवं सूती बुनकर द्वारा सात मीटर कपड़े का उत्पादन किया जायेगा। कम्पनी की नीतियों के अनुसार बुनकरों को एक साल में 260 दिन कार्य में लगाना है। यह देखा गया कि 22 क्लस्टर³⁸ में जिसके संबंध में उत्पादन का आंकड़ा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया था, निर्धारित उत्पादन न्यूनतम पाँच मीटर³⁹ प्रति करघा प्रतिदिन की तुलना में रेशम एवं सूती कपड़े का वास्तविक उत्पादन बहुत कम था जैसा कि **तालिका - 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.1

वर्ष	उत्पादन हेतु 1 अप्रैल को उपलब्ध करघों की संख्या	उत्पादित कपड़े (मीटर)	उत्पादन हेतु आवश्यक करघों की संख्या	करघों के अल्प उपयोगिता का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(5*260)	(5)={(2)-(4)}/(2)*100
2009-10	121	66653	51	58
2010-11	385	133446	103	73
2011-12	842	162650	125	85
2012-13	1062	220126	169	84

(स्रोत: समूहों द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

ऊपर से यह देखा जा सकता है कि बुनकरों को प्रशिक्षण देने के बावजूद करघे के उपयोग में कमी थी एवं करघों की अल्प उपयोगिता वर्ष 2009-10 में 58

³⁷ बुनकर @ ₹ 15,000 प्रति बुनकर x 1,215 = ₹ 1.82 करोड़

³⁸ जियाजोरी, बौरीजोरी, गोड्डा, फसिया, पोरैयाहाट, सरैयाहाट, मनियारडीह पचरुखी, महुआडाबर, राजीडुम्मा, बालथर, पोखरीकलास, सहेर बसेला देवरी नगरी, सिठियो, महुआडांड।

³⁹ रेशम एवं सूती कपड़े के उत्पादित मात्रा अलग-अलग उपलब्ध नहीं थे इसलिये न्यूनतम उत्पादन 5 मीटर माना गया है।

प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 84 प्रतिशत हो गया। हमने अवलोकित किया कि कम्पनी ने बुनकरों को एक वर्ष में 260 दिन कार्य में नहीं लगा सकी। बुनकरों के मजदूरी भुगतान में देरी, धागों का अनियमित आपूर्ति एवं वर्कशेड की अनुपलब्धता क्लस्टर विकास कार्यपालक द्वारा करघों के अल्प उपयोगिता के कारण बताये गये थे। पुनः अपर्याप्त अनुश्रवण के कारण करघों का अनुकूलतम उपयोग नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि प्रति वर्ष कुल उपलब्ध करघों में से कई का उपयोग प्रशिक्षण में किए गए एवं प्रशिक्षण के दौरान उत्पादन उसी गति से नहीं किया जा सकता है। कई करघे साल के बीच में यहाँ तक कि साल के अंत में स्थापित किए गए। इसके सिवाय, बुनकर कम्पनी के कर्मचारी नहीं थे एवं सरकार उन्हें प्रतिदिन मानक घंटों तक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने वर्ष के शुरुआत में उत्पादन के लिए उपलब्ध करघों को ध्यान में रखते हुए करघों की अल्प उपयोगिता की मात्रा की गणना की है। पुनः कम्पनी द्वारा बुनकरों को बिना लागत के करघे उनके पूर्णकालीन कार्य के लिए उपलब्ध कराए गये थे।

हस्तशिल्प

2.22 ग्रामीण शिल्पियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से झारखण्ड सरकार द्वारा हस्तशिल्प के विकास हेतु योजना स्वीकृत की गयी थी जिसे कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जानी थी। इस योजनान्तर्गत पारम्परिक हस्तकलाओं⁴⁰ का प्रशिक्षण दिया जाना था और प्रशिक्षित शिल्पियों को उत्पादन कार्य में लगाया जाना था। सरकार ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 के बीच 21,750 शिल्पियों के प्रशिक्षण हेतु ₹ 15.08 करोड़ की मंजूरी दी। कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनानुसार वर्ष 2009-10 से 2012-13 के बीच 23,602 शिल्पियों को प्रशिक्षण दिया गया जिसमें ₹ 13.67 करोड़ व्यय हुए।

हमने नमूना जाँच में पाया कि कम्पनी ने 11,729 शिल्पियों⁴¹ को प्रशिक्षण दिया जिसमें से सिर्फ 1,734 अर्थात् 15 प्रतिशत शिल्पियों को ही वर्ष 2012-13 में उत्पादन में लगाया गया। परियोजना प्रबंधक एवं पी.पी.ओ., खरसावाँ ने प्रशिक्षित शिल्पियों के काम छोड़ने का कारण कच्चे मालों की अनियमित

⁴⁰ अदिवासी चित्रकला, ढोकरा क्राफ्ट, ग्रासमेट, बंबु क्राफ्ट, पेपरमेशी, लाख चूड़ियाँ, बुड़क्राफ्ट इत्यादि

⁴¹ आर्कर्णी, खरसावाँ, शहरी हाट, हजारीबाग, सिठियों क्लस्टर के अंतर्गत देवरी नगरी पी.डब्ल्यू.सी.एस.

प्रशिक्षित शिल्पियों के डेटाबेस के अभाव में ₹ 6.93 करोड़ व्यय के बावजुद भी विपणन सहायता प्रशिक्षित शिल्पियों को नहीं दिया जा सका

आपूर्ति बताया। हालांकि, कच्चे माल के क्रय के लिए कम्पनी को कार्यशील पूँजी उपलब्ध करायी गयी थी।

कम्पनी द्वारा प्रशिक्षित सभी शिल्पियों को कम्पनी के अपने उत्पादन कार्यों में नहीं लगाया था। प्रशिणार्थियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित जान एवं कुशलता का उपयोग, जो काम पर नहीं लगाये थे और उनके द्वारा प्राप्त लाभों का कम्पनी/विभाग द्वारा मूल्यांकन नहीं किया गया था। कम्पनी ने लाभपूर्ण स्वरोजगार में नियुक्त प्रशिक्षित शिल्पियों का रिकार्ड नहीं बनाया। यह जरूरी था क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रशिक्षित शिल्पियों को बाजार सहयोग उपलब्ध कराना आवश्यक था। इस प्रकार ₹ 6.93 करोड़⁴² की लागत से 9,995 शिल्पियों का प्रशिक्षण देने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि काम में लगाये गये शिल्पियों की संख्या जो कम्पनी द्वारा दर्शाया गया था, सही नहीं था क्योंकि अकेले हजारीबाग में लगभग 10,000 शिल्पियों को लगाया गया था, पर उनके पास इससे संबंधित सूचना सुलभ नहीं है। सरकार ने आगे कहा कि अंकेक्षक द्वारा उठाये गए इस मुद्दे पर उपयुक्त कारवाई की जायेगी।

जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वर्ष 2010-12 के दौरान हजारीबाग शहरी हाट में प्रशिक्षित 10,275 शिल्पियों में से सिर्फ 1,511 शिल्पियों को वर्ष 2012-13 के दौरान उत्पादन में लगाया गया था।

विक्रय एवं प्रचार

2.23 कम्पनी ने विज्ञापन एवं प्रसार के लिए कोई नीति प्रतिपादित नहीं की थी। कम्पनी ने विज्ञापन एवं प्रचार त्योहार के मौसम में एवं नये इम्पोरियम खोलकर किया।

मूल्य निर्धारण नीति

2.24 कम्पनी ने बिना तर्कसंगत विश्लेषण के हस्तकरघा उत्पादों की लागत मूल्य में लागत का 50 प्रतिशत वृद्धि कर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लिया (फरवरी 2008)।

हस्तकरघा उत्पादों के रिकार्ड का नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान उत्पादन के लागत मूल्य ₹ 34.11 करोड़ पर अधिकतम विक्रय मूल्य ₹ 48.45 करोड़ निर्धारित किया था जो कि अपनाए

⁴² शिल्पी @ ₹ 6,935 प्रति शिल्पी \times ₹ 9,995 = ₹ 6.93 करोड़

मूल्य निर्धारण नीति के पालन न करने के कारण ₹ 2.72 करोड़ की कम बिक्री हुई।

गए मूल्य नीति के अनुसार कुल ₹ 51.17 करोड़ होना था। इस प्रकार, कम्पनी ने 50 प्रतिशत लागत जोड़े बिना अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किया तथा स्वयं द्वारा अपनाये गए मूल्य नीति से हटकर काम किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ कम विक्रय वसूली हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन स्वीकार करते हुए कहा (दिसम्बर 2013) कि कुछ उत्पादों में कम मार्जिन जोड़ा गया ताकि उत्पादों को बेचा जा सके। यह कहा गया कि वर्ष 2013-14 में सभी प्रकार के उपरिव्यय तथा उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करते हुए लागत मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। तथा आश्वस्त किया कि कम्पनी को अधिक प्रतियोगी तथा लाभदायक बनाने के लिए इस मामले की पुनः जाँच की जाएगी।

इम्पोरियम की दक्षता

2.25 कम्पनी हस्तकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों को वर्ष 2008-09 से अपने इम्पोरियम में बिक्री करता है। इम्पोरिया की संख्या वर्ष 2008-09 में तीन⁴³ थी, जो बढ़कर वर्ष 2012-13 में 12⁴⁴ हुआ। कम्पनी इन इम्पोरियम को खोलने से पहले किसी प्रकार के बाजार सर्वेक्षण तथा इसकी व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं किया था। इसने इम्पोरियम के लिए बिक्री का लक्ष्य भी तय नहीं किया था। 31 मार्च 2013 को समाप्त हो रहे पिछले पाँच वर्षों तक की इम्पोरियम की संचालन लाभ-हानि को **तालिका - 2.2** में दर्शाया गया है:

तालिका - 2.2

वर्ष	इम्पोरियम की संख्या	सकल विक्रय	दिया गया छूट	शुद्ध बिक्री	बिक्रीत माल की लागत	इम्पोरियम के खर्च	परिचालन लाभ/(-)हानि	सकल बिक्री पर परिचालन हानि का प्रतिशत
1	2	3	4	5=(3-4)	6	7	8=5-(6+7)	9=8/3x100
2008-09	3	82.57	14.04	68.53	55.32	53.06 (64)	(-) 39.85	48
2009-10	7	150.96	25.99	124.97	101.14	112.63 (75)	(-) 88.80	59
2010-11	9	288.25	43.80	244.45	193.13	223.76 (78)	(-) 172.44	60
2011-12	12	335.77	49.17	286.60	224.97	226.39(67)	(-) 164.76	49
2012-13	12	573.95	105.07	468.88	384.55	409.76 (71)	(-) 325.43	57
कुल परिचालन हानि							(-) 791.28	

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

कोष्ठक में दिए गए अंक इम्पोरिया का व्यय को सकल बिक्री का प्रतिशत में बतलाया गया है।

⁴³ रोसपा टावर, राँची, बंगलुरु और दिल्ली इम्पोरियम

⁴⁴ दिल्ली, बंगलुरु, मुम्बई, पुणे, अहमदाबाद, मैसूर, डाल्टनगंज, हजारीबाग, रोसपा टावर, चर्च कम्पलेक्स, हरमू और मेगा स्टोर, राँची

2008-09 से
2012-13 की अवधि
के दौरान इम्पोरियम के
माध्यम से बिक्री से
₹ 7.91 करोड़ की
परिचालन हानि।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि कम्पनी को इन इम्पोरियम के संचालन में वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक ₹ 7.91 करोड़ की हानि हुई। वर्ष 2008-09 से 2012-13 में संचालन हानि का प्रतिशत सकल विक्रय के 48 प्रतिशत से बढ़कर 57 प्रतिशत हो गई। हानि का मुख्य कारण इम्पोरियम की लाभ मार्जिन⁴⁵ की तुलना में अधिक खर्च था। इस संबंध में यह भी प्रासंगिक है कि हजारीबाग इम्पोरियम को छोड़कर सभी इम्पोरियम को वर्ष 2012-13 के दौरान हानि हुई थी। हजारीबाग में स्थित इम्पोरियम लाभ में चल रही थी, क्योंकि यह शहरी हाट में अवस्थित है जहाँ इस शहरी हाट का किराया देने की जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं थी तथा विविध खर्च को शहरी हाट के खाते में दिखाया गया था। वर्ष 2012-13 में इम्पोरियम के संचालन व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि होने के मुख्य कारण राँची स्थित नये मेगा स्टोर पर किये गये ₹ 1.28 करोड़⁴⁶ स्थापना व्यय था।

आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2009-10 में स्थापित पूणे एवं मुम्बई स्थित इम्पोरियम एवं वर्ष 2010-11 में स्थापित डालटेनगंज इम्पोरियम का संचालन व्यय प्रारम्भ से लेकर 2012-13 तक कुल बिक्री से अधिक थे। कम्पनी को प्रत्येक इम्पोरियम का संचालन व्यय की समीक्षा करते हुए वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना चाहिए था। कम्पनी ने उपरिव्यय का कोई मानक भी निर्धारित नहीं किया था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि वर्ष 2008-09 से 2012-13 में बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। मेगा स्टोर का संचालन व्यय भ्रामक था क्योंकि इसमें किराया और कर्मचारियों का वेतन का खर्च ₹ 1.28 करोड़ तथा मेला खर्च ₹ 38 लाख शामिल थे। अगर इन व्ययों को अलग किया जाय, तो संचालन व्यय कम होगा।

उत्तर सही है कि सकल बिक्री में 5.95 गुना की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई लेकिन इसी समय (2008-09 से 2012-13) में संचालन लागत 6.72 गुना बढ़ गया था जो कुल बिक्री में वृद्धि को नकार रहा था। मेगा स्टोर का किराया और उसमे कार्यरत कर्मचारी का वेतन आवर्ती व्यय है। इसलिए इस व्यय को इम्पोरियम के संचालन व्यय से अलग नहीं किया जा सकता है। साथ ही मेगा स्टोर के व्यय में मेला व्यय शामिल नहीं था।

⁴⁵ शुद्ध विक्रय घटाव बिक्रीत माल की लागत।

⁴⁶ इम्पोरियम के किराया ₹ 6.00 लाख प्रतिमाह सम्मिलित।

फ्रैंचाइजी का प्रदर्शन

2.26 कम्पनी अपनी उत्पादों को फ्रैंचाइजी दुकानों द्वारा भी बेचते हैं। कम्पनी ने फ्रैंचाइजी की नियुक्ति के लिए कोई नीति नहीं अपनायी थी और इच्छुक एजेन्सी द्वारा कम्पनी से सीधे सम्पर्क स्थापित करने पर फ्रैंचाइजी के रूप में नियुक्त किये जाते थे। मार्च 2013 तक कम्पनी के पास पाँच⁴⁷ फ्रैंचाइजी थे। सभी पाँच फ्रैंचाइजी के खुदरा दुकानों का 2010-11 से 2012-13⁴⁸ की अवधि में प्रदर्शन **तालिका - 2.3** में दिया गया है:

तालिका - 2.3

(₹ लाख में)

वर्ष	शुद्ध बिक्री	विक्रीत माल की लागत	सकल लाभ	विक्रय व्यय			परिचालन हानि
				फ्रैंचाइजी को भुगतान	अन्य व्यय	विक्रय पर कुल खर्च	
1	2	3	4=(2-3)	5	6	7=(5+6)	8=(4-7)
2010-11	7.70	6.41	1.29	2.14	-----	2.14(28)	(-) 0.85
2011-12	61.58	50.38	11.20	15.43	11.91	27.34(44)	(-) 16.14
2012-13	104.13	86.82	17.31	22.07	20.07	42.14(40)	(-) 24.83
कुल	173.41	143.61	29.80	39.64	31.98	71.62(41)	(-) 41.82

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

कोष्ठक में दिये गए अंक शुद्ध विक्रय में विक्रय व्यय की प्रतिशतता को सूचित करता है।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान कम्पनी ने फ्रैंचाइजी दुकानों द्वारा अपनी उत्पादों की बिक्री से ₹ 41.82 लाख हानि वहन किया।

हमने पाया कि कम्पनी ने कलाकृति, वाराणसी के साथ पाँच वर्ष के लिए एक फ्रैंचाइजी अनुबंध किया (मार्च 2011)। अनुबंध के अनुसार फ्रैंचाइजी द्वारा उत्पादों की बिक्री आय का 28 प्रतिशत कम्पनी को देना था तथा कम्पनी के पास ₹ पाँच लाख का बैंक गारण्टी जमा करना था। यद्यपि कम्पनी ने अनुबंध को संशोधित (अक्टूबर 2011) कर भूतलक्षी प्रभाव से जून 2011 से लागू किया, जो फ्रैंचाइजी के आग्रह के बगैर और बिना किसी लिखित कारणों से किया गया। संशोधित अनुबंध के अनुसार फ्रैंचाइजी द्वारा बिक्री आय का 20 प्रतिशत कम्पनी को देने तथा कम्पनी द्वारा मासिक किराया के रूप में ₹ 80,000, रख-रखाव खर्च ₹ 4,000 प्रतिमाह और कम्पनी द्वारा प्रतिनियुक्त एक स्टोर प्रबंधक का वेतन की भुगतान का प्रावधान किया गया था। बैंक

⁴⁷ संतोष टेक्सटाइल्स, दुमका; अनामिका, पटना; कलाकृती, वाराणसी और दो कोलकाता के फ्रैंचाइजी

⁴⁸ कम्पनी ने फ्रैंचाइजी के माध्यम से बिक्री 30 अप्रैल 2010 से शुरू किया

गारण्टी देने की शर्त को भी कम्पनी ने हटा लिया। इस प्रकार, अनुबंध में फेर-बदल करने के कारणों का रिकार्ड में नहीं होने से अनुबंध के संशोधन करने के मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो सका। फ्रैंचाइजी को बढ़ावा देने के बावजूद कम्पनी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकी और इसे हानि वहन करना पड़ा।

समझौते में पूर्वप्रभावी संशोधन के कारण ₹ 16.74 लाख का अतिरिक्त व्यय।

मूल समझौते के अनुसार कम्पनी द्वारा फ्रैंचाइजी को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में ₹ 9.25 लाख भुगतान करना था, जबकि संशोधित अनुबंध के अनुसार कम्पनी ने ₹ 25.99 लाख खर्च किया। इस प्रकार, अनुबंध के शर्तों में फेर-बदल कर फ्रैंचाइजी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा कम्पनी के वित्तीय हितों को नजर अंदाज करते हुए ₹ 16.74 लाख अतिरिक्त व्यय किया गया।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि दोनों तरह के फ्रैंचाइजी प्रारूप का अनुसरण किया जा रहा था। जवाब में बिना किसी कारण दर्ज किये पूर्व प्रभाव से कलाकृति, वाराणसी के साथ अनुबंध में संशोधन करने के मामले में कुछ नहीं कहा गया था।

तथापि, वस्तुस्थिति यह है कि कम्पनी ने न तो फ्रैंचाइजी नियुक्त करने से पहले कोई लागत लाभ विश्लेषण किया और न कोई मासिक बिक्री लक्ष्य तय किया जिससे लाभ अर्जन की स्थिति तक पहुँचा जा सके। कम्पनी अनुबंध को पूर्व प्रभाव से बदलते समय अपनी वित्तीय हितों को ध्यान में रखने में असफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप बिना किसी बिक्री आय के अतिरिक्त वित्तीय व्यय हुआ।

शहरी हाट

2.27 झारखण्ड सरकार ने भारत सरकार की सहायता से हजारीबाग में एक शहरी हाट स्थापित किया (2005-06) जिसमें कलाकारों एवं बुनकरों को स्थायी विपणन सुविधा प्रदान किया जा सके तथा अपने उत्पादों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे ग्राहकों को बिक्री कर सकें।

कम्पनी ने जिला प्रशासन, हजारीबाग से शहरी हाट का स्वामित्व प्राप्त कर (मार्च 2010) इसके प्रबंधन को क्राफ्टेज कंसल्टेंट (एजेन्सी) को दे दिया (मार्च 2010)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी इसके पहले अक्टूबर 2008 में इस एजेन्सी के साथ एक अधिकृत बाजार साझेदार के रूप में अनुबंध किया था, जिसमें तसर रेशम और हस्तनिर्मित उत्पादों को देश में तथा देश के बाहर

बिक्री करना था। यद्यपि, एजेन्सी मार्च 2010 तक कुछ भी बिक्री नहीं कर सकी।

कम्पनी के कार्यालय आदेश के अनुसार एजेन्सी को आवश्यक बिजली, पानी और आधारभूत सुविधाओं की स्थापना, शहरी हाट चालू रखने के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और हस्तनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन के लिए कलाकारों के कार्य दलों को भर्ती करना था। एजेन्सी शहरी हाट के सभी तरह के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी था तथा इसे कम्पनी की देख-रेख में और इसके अधीन रहकर कार्य करना था जिसके लिए एजेन्सी को प्रतिमाह कुल ₹ 35,000 का भुगतान करना था।

इसके अलावा, इस संबंध में अवलोकित अनियमितताएं नीचे दी गई हैं:

- शहरी हाट का प्रबंधन मार्च 2010 में कार्यालय आदेश निर्गत कर मनोनयन के आधार पर कम्पनी के निदेशक मंडल की संस्तुति के बिना, निविदा और पिछले कार्य दक्षता का मूल्यांकन किये बिना निर्धारण कर लिया गया।
- शहरी हाट प्रबंधन एजेन्सी के नियुक्ति हेतु निविदा नहीं निकाला गया था (जुलाई 2013), जबकि कम्पनी के निदेशक मंडल ने निविदा मंगाने के लिए प्रशासनिक अनुमति प्रदान किया था (जून 2012)।
- कम्पनी ने वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान एजेन्सी को उनके आवेदन के तहत ₹ 9.35 करोड़⁴⁹ अग्रिम भुगतान बिना किसी सुरक्षा /बैंक गारंटी पर किया जो इस पर न्यस्त कार्य क्षेत्र के बाहर था। उसमें से ₹ 5.34 करोड़ मार्च 2013 तक समायोजित नहीं किया गया था। एजेन्सी ने कम्पनी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन के बिना ही कच्चे मालों की खरीद की। कच्चे मालों के तुलनीय दरों के अनुपलब्धता के कारण हमारे द्वारा दर का औचित्य तय नहीं किया जा सका।
- शहरी हाट ने वर्ष 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 5,155 मीटर और 4,256 मीटर कपड़ा का उत्पादन ₹ 151 प्रति मीटर तथा ₹ 378 प्रति मीटर की औसत लागत से किया। इस प्रकार वर्ष 2011-12 और

⁴⁹ कच्चे माल के क्रय पर ₹ 5.51 करोड़, बुनकरों एवं शिल्पियों के मजदूरी भुगतान और डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण पर और पी.डब्ल्यू.सी.एस. एवं सी.एफ.सी. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये ₹ 3.84 करोड़।

2012-13 के दौरान पन्द्रह क्लस्टर⁵⁰ में फेब्रिक की औसत उत्पादन लागत क्रमशः ₹ 85 एवं ₹ 138 प्रति मीटर था। परिणामस्वरूप, शहरी हाट में बुने गये कपड़ों का उत्पादन लागत ₹ 13.57 लाख अधिक हुआ। उच्च उत्पादन लागत का कारण बुनकरों को निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना था, जबकि क्लस्टर में उत्पादन आधारित पारिश्रमिक का भुगतान किया गया।

यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि कम्पनी शिल्पियों और बुनकरों को बिना किसी मध्यस्थ के अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों के बीच बिक्री के लिए स्थायी विपणन केन्द्र उपलब्ध कराने में असफल रही। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कम्पनी ने उत्पादन के लिए कच्चे माल के क्रय पर ₹ 1.24 करोड़ खर्च किया जो शहरी हाट के संचालन के उद्देश्यों के बाहर था। शहरी हाट का सकल बिक्री वर्ष 2011-12 में ₹ 15.85 लाख था जो वर्ष 2012-13 में घटकर ₹ 8.25 लाख हो गया। इस प्रकार शहरी हाट के स्थापना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उचित निविदा प्रक्रिया का अनुपालन तथा निदेशक मंडल की अनुमोदन के पश्चात् शहरी हाट के प्रबंधन के लिए एजेंसी का चयन किया गया था (अक्टूबर 2008) और शहरी हाट का प्रबंधन सौंपा गया था (मार्च 2010), क्योंकि यह कम्पनी का विपणन साझेदार था। पर्याप्त मानव शक्ति के कमी के कारण सभी क्रय प्रक्रियाओं एवं अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा सका।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निदेशक मण्डल के कार्यवृत्त के अनुसार एजेंसी ने विपणन हेतु प्राधिकृत एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए कम्पनी को आग्रह किया था एवं निदेशक मण्डल का अनुमोदन (सितम्बर 2008) विपणन साझेदार की नियुक्ति के लिए था न कि शहरी हाट के प्रबंधन एवं हस्तशिल्प के उत्पादन के लिए। इसके अलावा, बिक्री में कमी आई जैसा कि ऊपर में वर्णित है।

क्राफ्टेज एप्रैल्स को निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन न करके अनुचित लाभ पहुँचाया।

2.28 हमने, इसके अलावा, अवलोकित किया कि कम्पनी ने क्राफ्टेज एप्रैल्स के साथ एक अनुबंध किया (अगस्त, 2009) जो क्राफ्टेज कंसलटेन्ट की एक अनुषंगी इकाई है, जिसका स्वामित्व भी एक है। इसके तहत बिना निदेशक मण्डल की स्वीकृति एवं किसी कोटेशन/निविदा मांगे बने बनाये वस्त्रों की

⁵⁰ खरसावाँ, आकर्षणी, सिकनी, जियाजोरी, बोआरीजोर, गोड़ा, पोरेयाहाट, फसिया, सरैयाहाट, पचरुखी, मनियारडीह, महुआडाबर, बालथर, जमुनिया एवं हजारीबाग।

सिलाई का कार्य दिया गया। कम्पनी ने मार्च 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि में क्राफ्टेज एप्रैल्स को कम्पनी के लिए कुर्तों के सिलाई हेतु सामानों के क्रय के लिए ₹ 46.06 लाख का भुगतान किया जिसमें मार्च/ अप्रैल 2012 में बिना किसी जमानत के दिये गये ₹ 10 लाख ब्याज रहित अग्रिम शामिल था। ₹ 10 लाख अग्रिम का समायोजन नहीं हो सका था (मार्च 2013)। पुनः यह देखा गया कि क्राफ्टेज एप्रैल्स को सिलाई इकाई के स्थापना हेतु झारखण्ड सरकार के विभाग के अंतर्गत राँची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा कम्पनी की अनुशंसा पर अनुचित लाभ पहुंचाते हुए भूमि का आवंटन किया गया। कम्पनी ने एजेंसी के साथ विपणन हेतु समझौता किया यद्यपि, एजेंसी द्वारा कोई विपणन कार्य नहीं किया गया था।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि क्राफ्टेज एप्रैल्स को सिलाई का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि प्रतिष्ठान को सिले कपड़े बनाने का पर्याप्त अनुभव था एवं प्रतिष्ठान को अग्रिम भी दिया गया क्योंकि यह नवगठित था।

यह उत्तर कि एक नयी स्थापित प्रतिष्ठान को सिले वस्त्रों को बनाने का अच्छा अनुभव है अपने आप में विरोधात्मक है। पुनः कम्पनी को एक वाणिज्यिक इकाई होने के नाते अपने वित्तीय हितों की रक्षा करना है एवं कार्य दिये जाने एवं भुगतान करने में उचित प्रक्रिया का पालन करना है।

वित्तीय प्रबंधन

2.29 कम्पनी अपने दिन प्रतिदिन के क्रिया कलापों को अपने आंतरिक स्रोतों⁵¹ और झारखण्ड सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान से वेतन एवं अन्य व्ययों⁵² का भुगतान कर पूरी करती है। कम्पनी ने रेशम कीट पालन, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के विकास हेतु योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार से पर्याप्त राशि प्राप्त किया जिसमें कार्यशील पूँजी की राशि शामिल है। वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक कम्पनी का प्रचालन दक्षता **तालिका - 2.4** दिखाया गया है।

⁵¹ बिक्री से आय, योजना अन्तर्गत प्राप्त पर्यवेक्षण प्रभार, बैंक जमा से प्राप्त ब्याज आदि।

⁵² वेतन, कार्यालय व्यय, दुकानों का किराया, दुकानों की आंतरिक सजावट, मेला प्रदर्शनी एवं विज्ञापन इत्यादि के व्यय के भुगतान हेतु झारखण्ड सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान।

तालिका - 2.4

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष			
	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
बिक्री	222.07	653.58	1280.09	1867.89
योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकारी अनुदान	150.31	996.65	2331.42	2119.06
अन्य आय	9.82	8.06	643.81	689.59
कुल आय	382.20	1658.29	4255.32	4676.54
वस्तुओं का उत्पादन लागत	216.55	677.06	1126.36	1286.42
प्रशासनिक व्यय	103.39	178.01	472.46	604.38
विक्रय एवं वितरण व्यय	41.54	37.50	210.79	454.96
ब्याज	1.13	0.46	10.86	95.83
हास	17.66	21.36	47.82	71.27
पूर्व अवधि व्यय	-	-	7.75	(-)1.59
कुल व्यय	380.27	914.39	1876.04	2511.27
सरकारी अनुदान का उपयोग	-	669.83	2331.42	2119.06
अनुदान के उपयोग को सम्मिलित कर कुल व्यय	380.27	1584.22	4207.46	4630.33
कर भुगतान	1.93	74.07	47.87	46.21

(स्रोत: वार्षिक लेखों के संग्रहित आँकड़े)

टिप्पणी:- कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2012-13 का लेखा तैयार नहीं किया है।

हमने देखा कि 2008-09 में अन्य आय⁵³ ₹ 9.82 लाख था जो 2011-12 में बढ़कर ₹ 6.90 करोड़ हो गया जो मुख्यतः झारखण्ड सरकार के योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में 2010-11 एवं 2011-12 में प्राप्त क्रमशः ₹ 5.01 करोड़ एवं ₹ 5.76 करोड़ के कारण थी।

कम्पनी ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान झारखण्ड सरकार से वेतन, अपने दुकानों के किराया एवं सजावट, मेला एवं प्रदर्शनी में भाग लेने, योजनाओं के विज्ञापनों, डिजाइन विकास, कार्यालय व्यय इत्यादि पर व्यय के भुगतान हेतु सहायता के रूप में ₹ 10.13 करोड़⁵⁴ का प्रबंधकीय अनुदान प्राप्त किया जिससे कि कम्पनी स्वयं का व्यय वहन करने योग्य हो सके। हमने, तथापि देखा कि वर्ष 2008-09 से 2011-12 के लिए प्रबंधकीय अनुदान प्राप्त न होने की स्थिति में कम्पनी का कर पूर्व लाभ उपरोक्त वर्षों के लिए हानि में बदल जाता। इस प्रकार, कम्पनी अपने प्रचालन व्ययों का भुगतान करने में असमर्थ थी और अपने स्थापना के छ: वर्ष बाद भी झारखण्ड सरकार पर आश्रित थी।

⁵³ पर्यवेक्षण प्रभारों, परामर्शी प्रभारों, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि को सम्मिलित कर।

⁵⁴ 2008-09 में 50 लाख, 2009-10 में ₹ 1.63 करोड़, 2010-11 में ₹ 2 करोड़, 2011-12 में ₹ 3 करोड़, 2012-13 में 3 करोड़ सरकारी अनुदान में शामिल हैं।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि कम्पनी पाँच वर्ष पूर्व निगमित हुई है, इसलिए इसे लाभ-अलाभ की स्थिति पर पहुँचने में समय लग सकता है।

कम्पनी ने अपने वित्तीय हितों को ध्यान में नहीं रखा जैसा कि कंडिका संख्या 2.24 से 2.28 एवं अनुवर्ती कंडिकाओं में विनिर्दिष्ट किया गया है।

साख नीति एवं विविध देनदार

2.30 कम्पनी प्रबंध निदेशक के पूर्व अनुमति से अपने हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के विभिन्न उत्पादों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों को उधार पर बिक्री कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप लम्बित ऋण 2008-09 में ₹ 37.22 लाख से बढ़कर मार्च 2013 को ₹ 8.30 करोड़ हो गयी। कम्पनी ने ऋणों का वर्षवार विश्लेषण नहीं बनाया था ताकि इसकी वसूली हेतु अनुश्रवण एवं अनुसरण किया जा सके।

यह देखा गया कि कम्पनी ने राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (एन.जी.ओ.सी) को 2010-11 के दौरान ₹ 1.97 करोड़ के मूल्य का स्मृतिचिह्नों, झण्डे, सजावटी सामान, बैनर्स इत्यादि की आपूर्ति की। एन.जी.ओ.सी ने मात्र ₹ 1.39 करोड़ का भुगतान किया एवं खाता के अनुसार ₹ 58.28 लाख लम्बित था। इस प्रकार ₹ 58.28 लाख कार्य के पूर्ण होने (फरवरी 2011) के 34 माह के पश्चात् भी अप्राप्य रहा। कम्पनी ने एन.जी.ओ.सी से भुगतान के लिए अनुरोध किया (मई 2012) जिसने लम्बित राशि के संबंध में विस्तृत विपत्रों एवं कार्यादेशों की मांग की। कम्पनी के पास उचित अभिलेखों के अभाव में ₹ 58.28 लाख की वसूली की संभावना कम है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि वे एन.जी.ओ.सी से बकाये को चुकाने के लिए लगातार सम्पर्क में हैं एवं आश्वस्त किया कि मार्च 2014 तक देनदारों की संख्या में बहुत हद तक कमी आ जायेगी।

2.31 कम्पनी के क्रय नियमावली⁵⁵ के अनुसार ₹ 10 लाख तक के आंतरिक सज्जा का कार्य को न्यूनतम तीन कोटेशनों को विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त कर मूल्य के औचित्य को सुनिश्चित कर एवं ₹ 10 लाख से अधिक का कार्यों को खुली निविदा के द्वारा देना है।

⁵⁵ मार्च 2011 में कम्पनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित।

⁵⁶ के वस्तुओं का क्रय,

क्रय समिति द्वारा बिना निविदा के एवं दर के औचित्य को सुनिश्चित किये किया गया, इस प्रकार क्रय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

₹ 96.66 लाख के आंतरिक डिजाइन का कार्य अनियमित रूप से संस्था को देना।

इसी तरह, कम्पनी ने क्राफ्टेज कंसल्टेंट्स (एजेंसी) को अपने धनबाद एवं देवघर के इम्पोरियम के आंतरिक सज्जा का कार्य ₹ 96.66⁵⁷ लाख में, जिसमें 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण प्रभार शामिल था, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर निविदा के बिना या अनुमानित लागत के औचित्य को सुनिश्चित किये बिना ही दिये, जैसा कि कंडिका सख्त्या 2.27 एवं 2.28 में भी विनिर्दिष्ट है। अग्रतर, कम्पनी ने एजेंसी को ₹ 28.05 लाख का ब्याज रहित अग्रिम बिना किसी सुरक्षा/बैंक गारंटी के दिया। इस प्रकार, कम्पनी के एम्पोरियम/भण्डार के आंतरिक सज्जा का कार्य कंपनी के क्रय नियमावली में निहित प्रक्रियाओं के पालन के बिना दिया जा रहा था जिसके द्वारा एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा था तथा कम्पनी के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किया जा रहा था। ↓

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि एजेंसी उनका साझीदार था एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा कार्य की व्यवस्था किया एवं बढ़इयों के लिए जीवनयापन अवसरों को उत्पन्न किया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने अपने क्रय नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

सामग्री प्रबंधन

2.32 मितव्ययी अधिप्राप्ति एवं इन्वेंटरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कम्पनी ने कोई अधिप्राप्ति नीति एवं इन्वेंटरी नियंत्रण तंत्र नहीं बनाया था। कम्पनी ने अपने सामग्री अधिकारी को नियंत्रण के लिए ए.बी.सी. विश्लेषण किया था और न ही कोई अधिकतम^{40-50 कोकन का उत्पादन होगा} न्यूनतम मानक स्तर या पुनः आदेश स्तर को नियत किया था। मार्च 2013 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के दौरान धारित इन्वेंटरी एवं कुल बिक्री तालिका - 2.5 में दर्शाया गया है:

⁵⁶ दिलीप कॉन्टेक ₹ 8.78 लाख, साकेत सेल्स ₹ 3.69 लाख, पेलिकन इन्टरनेशनल ₹ 2.10 लाख एवं लकड़ी वाणिज्य ₹ 5.68 लाख।

⁵⁷ धनबाद इम्पोरियम ₹ 50.05 लाख, देवघर के इम्पोरियम एवं कैम्प कार्यालय ₹ 46.61 लाख।

तालिका- 2.5

वर्ष	कुल इन्वेंटरी	टनओवर	मासिक बिक्री के संदर्भ में स्टॉक	(₹ लाख में)
2008-09	445.75	222.07	24	
2009-10	1472.73	653.58	27	
2010-11	2599.60	1280.09	24	
2011-12	3513.37	1867.89	23	
2012-13 (प्रोविजनल)	4271.32	----	----	

(स्रोत: कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

अंतिम स्टॉक महीनों
के बिक्री के संदर्भ में
23 और 27 महीनों के
बीच था।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि मासिक बिक्री की संख्या के संबंध में अंतिम स्टॉक 23 एवं 27 माह के मध्य निरंतर उच्च स्तर पर था। यदि कम्पनी इन्वेन्टरी नियंत्रण तंत्र को अपनाया होता तो इन्वेन्टरी स्तर को कम किया जा सकता था। कम्पनी ने अपने स्टॉक का आयु-वार विश्लेषण भी नहीं बनाया था।

सरकार ने लेखा परीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और कहा कि इन्वेन्टरी प्रबंधन में और सुधार की आवश्यकता है एवं 2013-14 के अंत तक सभी प्रचालनों को ऑन-लाइन कर दिया जायेगा।

अधिक उत्पादन के कारण संचित सामग्री का निपटारा नहीं किया जाना

2.33 कम्पनी को फरवरी 2011 में झारखण्ड में हुए 34 वें राष्ट्रीय खेल के लिए ₹ 1.20 करोड़ का 14,450 स्मृति चिन्ह की आपूर्ति का एक आदेश राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति (एन.जी.ओ.सी.) से प्राप्त किया (दिसम्बर 2010)।

हमने देखा कि 14,450 स्मृतिचिह्नों के आदेशित मात्रा के विरुद्ध कम्पनी ने 17,470 स्मृति चिन्ह अर्थात् आदेशित मात्रा से 3,020 स्मृतिचिह्नों का अधिक उत्पादन किया। इसके अलावा, स्मृतिचिह्नों की आपूर्तित मात्रा सिर्फ 12,646 था अर्थात् आपूर्ति की गयी मात्रा 1,804 कम रही यद्यपि स्मृतिचिह्नों का उत्पादन अधिक मात्रा में किये गये थे। कम आपूर्ति का कारण दर्ज नहीं थे।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि उसने खेल विभाग, झारखण्ड सरकार से अविक्रीत स्मृतिचिह्नों को बेचने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया था और यदि खेल विभाग कम्पनी के प्रस्ताव से सहमत नहीं होता है

तो अबिक्रीत स्मृतिचिह्नों को नये उत्पाद बनाने के लिए पुनः उपयोग किया जायेगा।

तथ्य यह है कि अगस्त 2012 में खेल विभाग, झारखण्ड सरकार के आग्रह किये जाने के बावजूद ₹ 37.10 लाख की सामग्री के निपटारे के लिए अब तक कोई कारवाई नहीं की गयी (नवम्बर 2013)।

इस प्रकार अधिक उत्पादन एवं सम्पूर्ण आदेशित मात्रा के प्रेषण में विफलता के कारण ₹ 34.91 लाख मूल्य के 4,824 स्मृतिचिह्न अबिक्रीत पड़े रहे। चूंकि स्मृतिचिह्न एक विशिष्ट अवसर के लिए डिजाइन एवं उत्पादित किये गये थे, उसके बिक्री की संभावना क्षीण है। पुनः, स्मृतिचिह्नों की कम मात्रा में आपूर्ति के कारण ₹ 2.19 लाख मूल्य के पैकिंग सामग्री⁵⁸ भी बिना उपयोग का पड़ा रहा।

मानव संसाधन प्रबंधन

2.34 कम्पनी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया गया था। कम्पनी ने टीम लीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (अगस्त 2008) एवं आवरण सेवा केन्द्र (नवम्बर 2008) को मानव शक्ति का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया था। इसके पश्चात् कम्पनी ने ग्लोबल इन्नोव सोर्स साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड (“ग्लोबल इन्नोव”) को अगस्त 2010 में टीम लीज के स्थान पर नियुक्त किया एवं कम्पनी द्वारा टीम लीज के माध्यम से नियुक्त मानवशक्ति को ग्लोबल इन्नोव को स्थानांतरित कर दिये गये। कम्पनी ने आउटसोर्सड एजेंसी के माध्यम से 267 लोगों की सेवाओं का उपयोग किया (मार्च 2013)।

हमने निम्नलिखित अवलोकित किया:

- कम्पनी ने कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नीति नहीं बनायी थी एवं मानवशक्ति के स्वीकृत बल को निर्धारित नहीं किया था।
- कम्पनी कर्मचारियों को स्वयं तीन से छः महीने तक की परिवीक्षा पर नियुक्त करती थी एवं परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् कम्पनी उनके नामों को आउटसोर्सिंग एजेन्सियों के वेतन पत्रक में दर्ज करने के लिए भेजती थी।

⁵⁸ एन.जी.ओ.सी. के आवश्यकतानुसार छपाया गया, इसलिये अन्य पैकिंग आवश्यकता में उपयोग नहीं किया जा सकता।

- कम्पनी ने रेशम कीट पालन के सुगम प्रचालन के लिए 25 परियोजना प्रबंधकों की नियुक्ति की यद्यपि उनमें से मात्र सात ही आवश्यक व्यावसायिक योग्यता, यथा सेरीकल्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा रखते थे। कम्पनी के द्वारा परियोजना प्रबंधक को छोड़कर विभिन्न पदों के लिए पात्रता एवं योग्यता उल्लेखित नहीं थे।
- कम्पनी ने आउटसोर्सड कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी को शासित नियमों/विनियमों को निर्धारित नहीं किया था जिसे विवेक के आधार पर बढ़ाया जाता था। परिवीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी प्रबंधन के विवेक से आउटसोर्सड कर्मचारियों के नियुक्ति के पश्चात् दो महीने के अंदर वेतन को बढ़ाया गया।
- आउटसोर्सड कर्मचारियों का कम्पनी को छोड़कर जाने की दर बहुत ऊँची थी। अगस्त 2010 से अप्रैल 2013 के दौरान 142 कर्मचारियों ने कार्यभार ग्रहण किया एवं 1 से 1,003 दिनों की सेवा के पश्चात् कम्पनी को छोड़ दिया। यह कम्पनी के कार्यकुशलता को प्रभावित करता है।

सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) और कहा कि सभी परियोजना प्रबंधक सेरीकल्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 25 परियोजना प्रबंधक में से 18 के पास सेरीकल्चर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा नहीं थे।

अनुश्रवण और आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण

2.35 कम्पनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पालन कर रही थी जैसे कि माल का स्थानांतरण केवल चालान के बनने पर ही होना, विक्रय वसूली ठीक अगले ही दिन बैंक में जमा कर देना, कार्यादेश महाप्रबंधक (प्रचालन) के पूर्व अनुमोदन से जारी करना। हालांकि, निम्नलिखित कमियों को आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र में देखा गया:

- विभाग ने रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन की बारीक अनुश्रवण के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था।
- कम्पनी ने हस्तकरघा और हस्तशिल्प के भौतिक प्रगति का अनुश्रवण के लिए तंत्र नहीं बनाया।
- विभाग ने कार्यशालाओं के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया था जैसा कि कंडिका संख्या 2.15 और 2.17 से 2.19 में उल्लेखित है।
- कम्पनी ने रीलरों और स्पीनरों द्वारा कोकून से उत्पादित धागे का अनुश्रवण के लिए कोई नियंत्रण तंत्र विकसित नहीं किया था और कम्पनी ने व्यक्तिगत रीलरों और स्पीनरों को जारी किए गए कोकूनों की संख्या तथा उनसे प्राप्त धागे का कोई आंकड़ा संकलित नहीं किया था जैसे कि कंडिका 2.14 में उल्लेखित हैं।
- यद्यपि कम्पनी के पास क्रय, उत्पादन और बिक्री की मासिक समीक्षा प्रणाली थी, ऐप्पोरियम की बिक्री को छोड़कर कम्पनी के स्तर पर प्रतिवेदन संकलित नहीं किये गये थे। इस तरह क्रय, उत्पादन और बिक्री की एक समेकित प्रतिवेदन के अभाव में उचित प्रबंधकीय निर्णय संभव नहीं था। यह प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) के अनुश्रवण और अनुवर्तन में कमी ला सकता है।
- विभाग के पास कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का कोई तंत्र नहीं था जैसा कि कंडिका संख्या 2.15 और 2.19 में उल्लेखित है। विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए था कि खर्च, कार्य की भौतिक प्रगति से मिलना चाहिए।
- कम्पनी ने करघा, रिलिंग और स्पीनिंग मशीनों के क्रय तथा उनके वितरण का योजनावार कोई आंकड़ा और स्टॉक पंजी संधारित नहीं किया जैसा कि कंडिका संख्या 2.15 और 2.19 में उल्लेखित है। इसके अभाव में उपयोग किये गये कोष का अनुश्रवण कंपनी द्वारा नहीं किया जा सका।
- कम्पनी ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा नहीं की जैसा कि कंडिका संख्या 2.24 से 2.28, 2.30 और 2.31 में उल्लेखित है।

सरकार ने कहा (दिसम्बर 2013) कि विभाग/कम्पनी द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण प्रत्येक महीने किया गया था।

तथ्य यह है कि योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुश्रवण में सुधार की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति की बैठक

2.36 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 285 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को हर तीन महीने में कम से कम एक बार निदेशक मंडल की बैठक करनी थी और साल में इस तरह की कम से कम चार बैठकें आयोजित करनी थी। यह देखा गया कि कम्पनी ने वर्ष 2012-13⁵⁹ की दूसरी तिमाही में बोर्ड का कोई बैठक आयोजित नहीं किया। निदेशक मंडल के नियमित बैठक के अभाव में निदेशक मंडल कम्पनी के गतिविधियों का अनुश्रवण नहीं कर सका।

इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292-ए के तहत प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी जिसकी चूकता पूँजी रूपये पाँच करोड़ से कम नहीं है, उसे बोर्ड स्तर पर एक लेखापरीक्षा समिति गठित करनी चाहिए। हालांकि, कम्पनी ने नवम्बर 2013 तक लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। इसके कारण निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों की समीक्षा तथा आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

आंतरिक लेखापरीक्षा

2.37 कम्पनी में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए कोई व्यवस्था अक्टूबर 2010 तक नहीं थी। कम्पनी ने अभी तक (नवम्बर 2013) आंतरिक लेखापरीक्षा मैन्युअल तैयार नहीं की थी। कम्पनी ने चार्टर्ड एकाउंटेंट के एक प्रतिष्ठान को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए आउटसोर्स किया। आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की जाँच, वस्तुओं और सेवाओं के लिए खरीद प्रक्रिया का पालन, सम्पत्ति और इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन इत्यादि सम्मिलित था। हालांकि, आंतरिक अंकेक्षक ने रेशम कीट पालन, हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उपयोग किये गये निधि और इम्पोरियम/फ्रैंचाइजी के प्रदर्शन की जाँच नहीं की।

⁵⁹ कम्पनी ने बोर्ड की बैठक कराने के प्रावधान का अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2011 तक आठ बार उल्लंघन किया था जिसमें दो बैठकों के बीच अधिकतम समय अंतराल 7 महीने 3 तीन तक था; जो वर्ष 2013 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 2, झरखण्ड सरकार में पहले ही प्रतिवेदित है।

सरकार ने आंतरिक लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (दिसम्बर 2013) तथा उपचारात्मक कारवाई का आश्वासन दिया।

निष्कर्ष

विभाग ने रेशम कीट पालन के लिए 12 और पी.पी.सी. की स्थापना के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की, हालांकि, भौतिक दृष्टि से हस्तकरघा और हस्तशिल्प के लिए कोई लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किये गये। विभाग ने 12 पी.पी.सी की स्थापना का लक्ष्य हासिल किया। सी.एस.बी. के मापदंडों के विरुद्ध कोकून का उत्पादन कम था और सहायता अनुदान पूरी तरह नहीं दी गई थी, परन्तु रेशमदूतों से मिलने वाली राशि से उसे समायोजित कर लिया गया था। इसके अलावा, कम्पनी/विभाग द्वारा रेशम धागे के अनुमानित उत्पादन के साथ रिलरों और स्पीनरों को आपूर्ति किये गये कोकून का मिलान नहीं किया गया था। विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यशालाओं के निर्माण और बुनकरों को प्रशिक्षण के संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी। विभाग ने कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र सत्यापित करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। सभी इन्पोरियम/फ्रैंचाइजी दूकानें घाटे में थी। फ्रैंचाइजी की नियुक्ति, शहरी हाट के प्रबंधन और अन्य कार्यों को निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना दिया गया। एजेंसी और क्राफ्टेज एप्रैल्स को बिना किसी सुरक्षा/बैंक गारण्टी के अग्रिम विमुक्ति किये गये थे। कम्पनी अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी और कोष की आवश्यकता के लिए झारखण्ड सरकार पर निर्भर थी। 2008-09 में विविध देनदार ₹ 37.22 लाख थे जो मार्च 2013 तक बढ़कर ₹ 8.30 करोड़ हो गये। कम्पनी ने मितव्ययी क्रय और इन्वेंटरी पर कुशल नियंत्रण के लिए कोई क्रय नीति और इन्वेंटरी नियंत्रण तंत्र तैयार नहीं किया था। आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र में कमी देखी गई और व्यापक एम.आई.एस. प्रणाली का अभाव था।

अनुशंसाएं

विभाग को चाहिए कि:

- कम्पनी द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनुश्रवण और समय-समय पर समीक्षा करना और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए तंत्र को विकसित करना; और

- कोकून के उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रभावी कदम उठाना, रेशमदूत को पूर्ण नगद सहायता उनसे प्राप्य राशि के समायोजन के बिना देना।

कम्पनी को चाहिए कि:

- उनको सौंपे गए अधिदेशाधीन कार्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार/झारखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप नियोजन तैयार करना;
- रीलर और स्पीनर को आपूर्ति की गई कोकून से रेशम धागों के उत्पादन का अनुश्रवण;
- इम्पोरियम/फ्रैंचाइजी के माध्यम से बिक्री की लाभप्रदता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और विपणन के लिए प्रभावी कदम उठाना तथा अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए वित्तीय नियमों का अनुपालन;
- बेहतर इनवेंटरी प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक इनवेंटरी नियंत्रण पद्धति को अपनाना; और
- विभिन्न आंतरिक नियंत्रण तंत्र और एम.आई.एस. प्रणाली की स्थापना और सुदृढ़ीकरण।